चतुर्थ वार्षिक रिपोर्ट

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 का कार्यान्वयन

(अप्रैल 1, 2008 से मार्च 31, 2009)

राज्य सूचना आयोग
हिमाचल प्रदेश

कमरा न0 222
आर्मजडेल भवन
हि0प्र0 सचिवालय
शिमला—171002

दूरभाष 0177—2621904
टैलिफैक्स 0177—2621529
ई मेल— SCIC-hp@nic.in

विषय सूची

संक्षिप्त आंकडे
(i-v)

अध्याय संख्या	विषय	पृष्ठ संख्या
	अध्याय	
1.	परिचय	1–6
2.	सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की मुख्य विशेषताएं तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम	7–13
3.	हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग की भूमिका तथा उत्तरदायित्व	14–19
4.	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान)	20–28
5.	अधिनियम का कार्यान्वयन (हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलें तथा शिकायतों का निपटान)	29–33
6.	अभिमत और संस्तुतियां	34–40

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग
वार्षिक रिपोर्ट– संक्षिप्त आंकडे
(1.04.2008 से 31.3.2009)

(क)		सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या, जिन्होंने राज्य सूचना आयोग को वार्षिक विवरणी प्रस्तुत की	124
(ख)		1.4.2008 से 31.3.2009 तक सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा दायर किए गए आवेदनों की संख्या	17,869
(ग)		सार्वजनिक प्राधिकरणों के सार्वजनिक सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए आवेदनों की संख्या	259
(घ)		जन सूचना अधिकारियों द्वारा एकत्रित शुल्क तथा अतिरिक्त शुल्क की कुल राशि	8,07,939
(ञ)		सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 19 के अन्तर्गत वर्ष के दौरान प्रथम अपीलों की दायर करने की संख्या	338
(च)		वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005	
	(i)	की धारा 19 के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग में द्वितीय अपीलों की दायर करने की संख्या	184
	(ii)	दिनांक 1.4.2008 को आयोग में लंबित अपीले	38
	(iii)	कुल अपीलें	222
(छ)		वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत द्वितीय अपीलों की संख्या	199
(ज)	(i)	वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत दायर की गई शिकायतों की संख्या	204
	(ii)	दिनांक 1.4.2008 को आयोग में लंबित शिकायतें	34
	(iii)	कुल शिकायतें	238
(झ)		वर्ष के दौरान हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा निर्णीत शिकायतों की संख्या	221
(ञ)	(i)	मामलों की संख्या जिनमें आयोग ने जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना लगाया	1
	(ii)	मामलों की संख्या जिनमें आयोग द्वारा अपीलकर्ता/ शिकायतकर्ता को मुआवजा दिलवाया गया	19

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के वर्ष 2008–09 के दौरान समेकित मामलों का विवरण

	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2008 को लम्बित	38	34	72
वर्ष के दौरान दायर	184	204	388
कुल	222	238	460
निर्णित	199*	221	420*
31.3.2009 को लम्बित	23	17	40
राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2008 को लम्बित	5	14	19
वर्ष के दौरान दायर	83	131	214
कुल	88	145	233
निर्णित	80	132	212
31.3.2009 को लम्बित	8	13	21
राज्य सूचना आयुक्त द्वारा निर्णित मामले			
	अपीलें	शिकायतें	कुल
1.4.2008 को लम्बित	33	20	53
वर्ष के दौरान दायर	97	73	170
कुल	130	93	223
निर्णित	115	89	204
31.3.2009 को लम्बित	15	4	19
*पूर्ण न्यायपीठ द्वारा निर्णित मामले :– 4			

(iii)

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णीत तथा लम्बित अपीलों का ब्योरा
(1.4.2008 से 31.3.2009 तक)

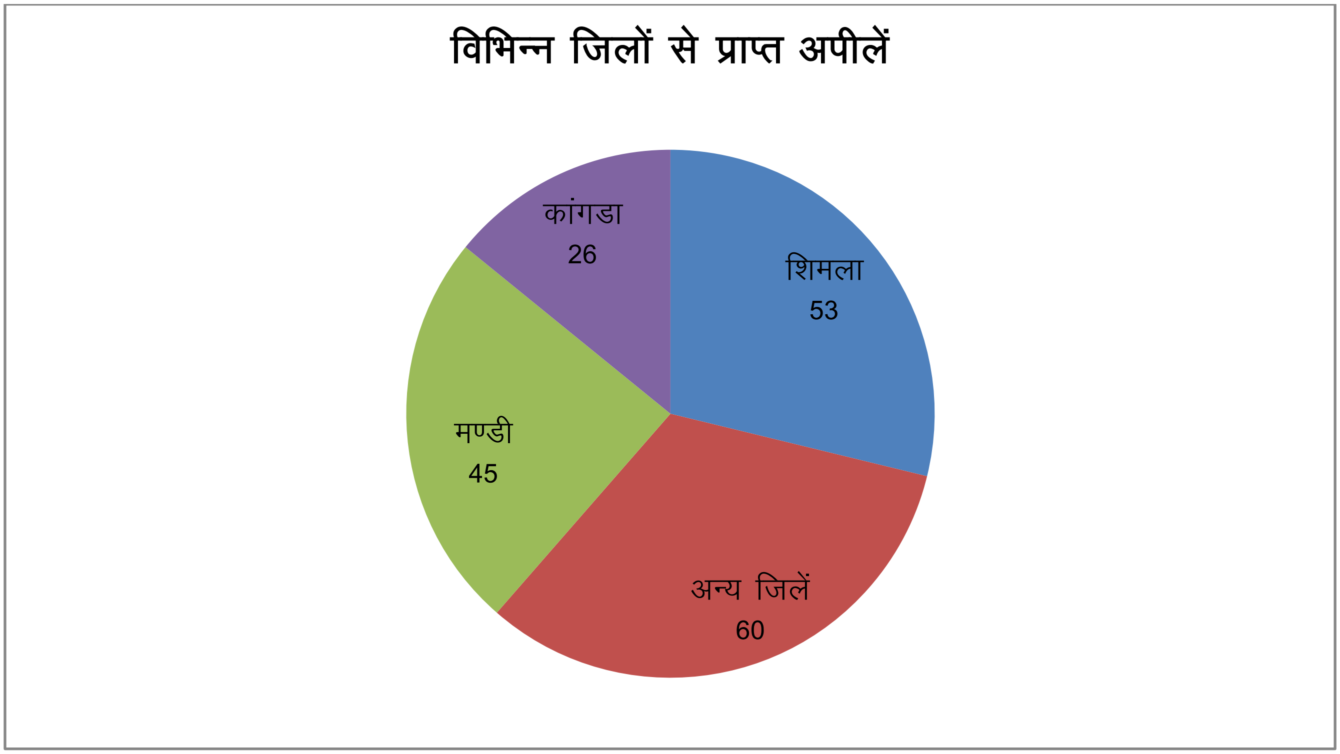

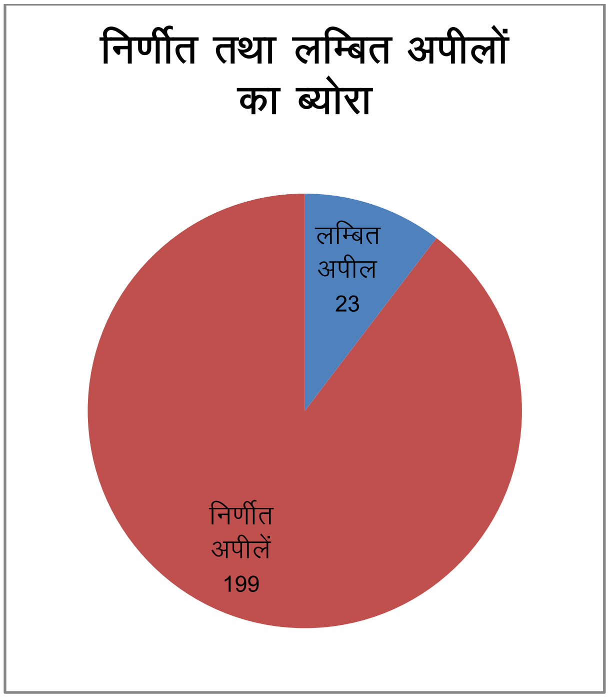

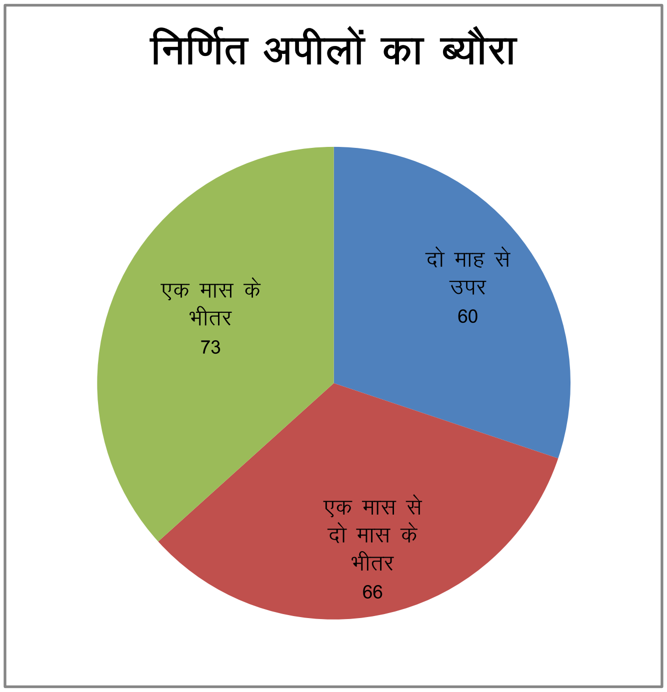

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त, निर्णीत तथा लम्बित शिकायतों का ब्योरा
(1.4.2008 से 31.3.2009 तक)

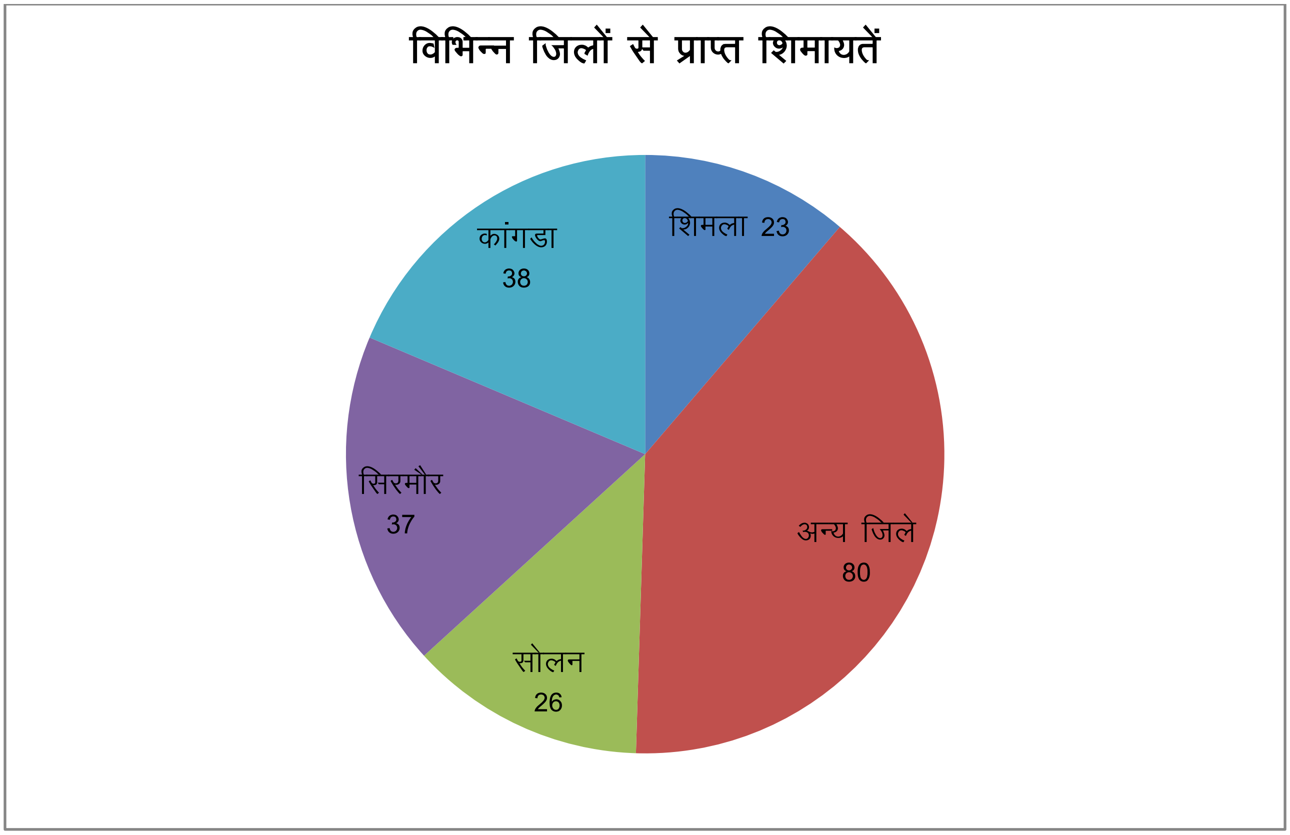

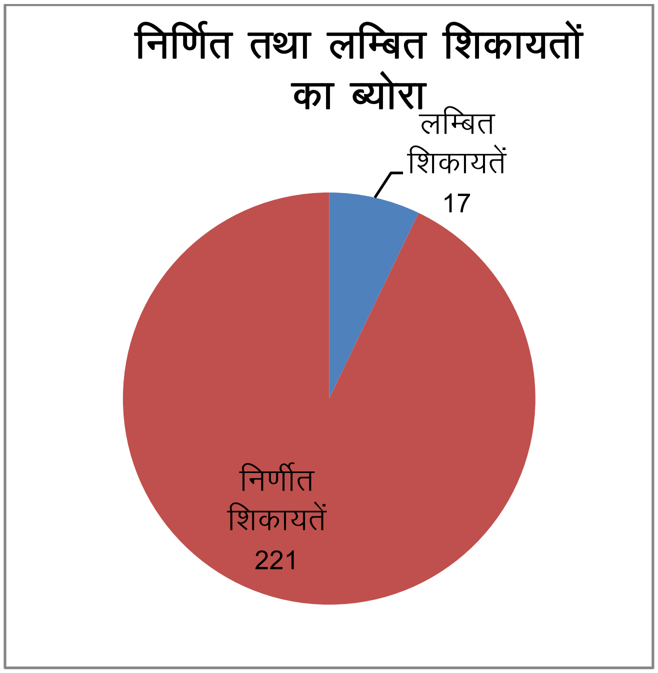

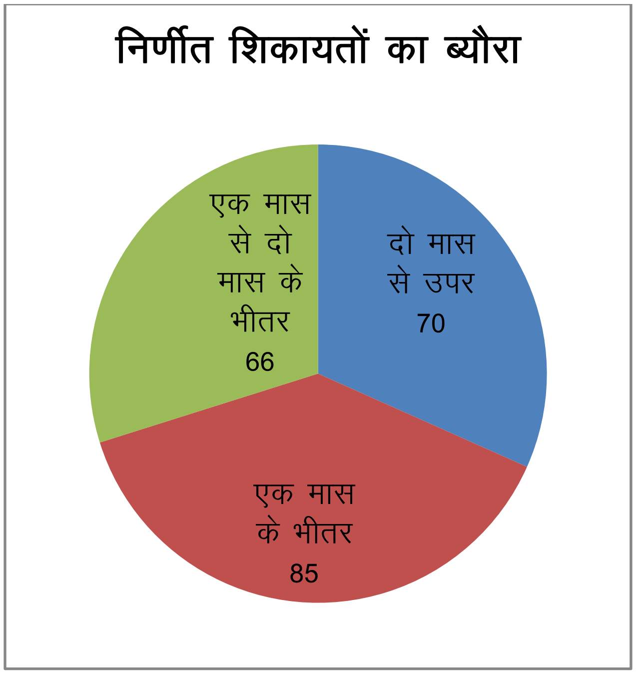

राज्य सूचना आयोग में प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों का ब्योरा (1.4.2008 से 31.3.2009 तक)

तीन मण्डलों तथा राज्य के बाहर से प्राप्त आवेदनों की संख्या

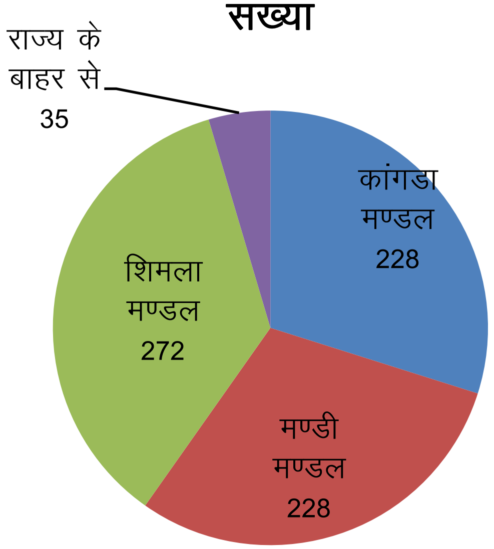

शिमला मण्डल के चार जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

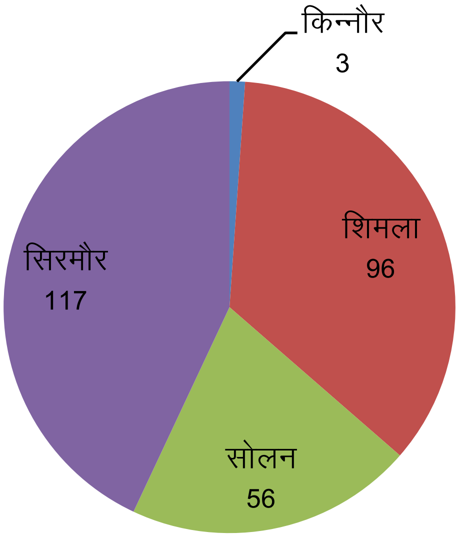

मण्डी मण्डल के पांच जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

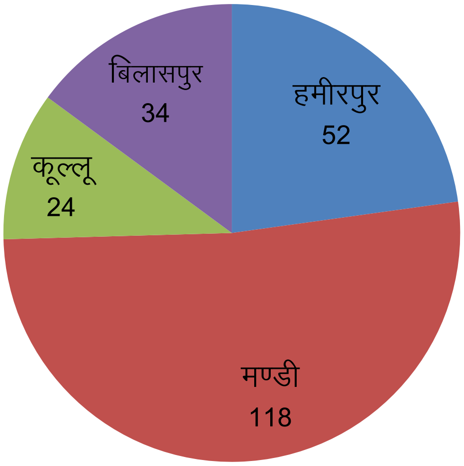

कांगड़ा मण्डल के तीन जिलों से प्राप्त आवेदनों की संख्या

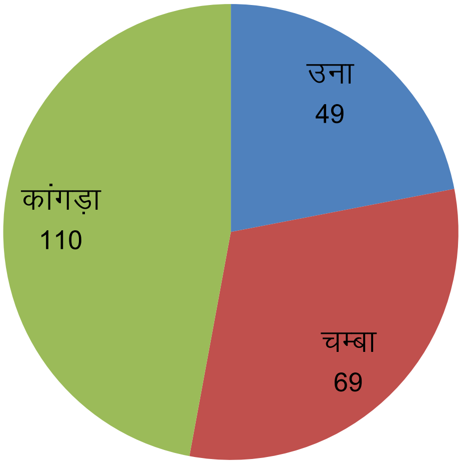

अध्याय– 1

परिचय

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 निम्नलिखित प्रस्तावना के साथ 15 जून, 2005 को अधिनियमित किया गया :–

"प्रत्येक लोक प्राधिकारी कार्यकरण में पारदर्शीता और उतरदायित्व के संवर्धन के लिए, लोक प्राधिकारियों के नियत्रंणाधीन सूचना तक पहुंच सुनिश्चित करने के लिए नागरिकों के सूचना के अधिकार की व्यावहारिक शासन पद्वति स्थापित करने, एक केन्द्रीय सूचना आयोग तथा राज्य सूचना आयोग का गठन करने और उनसे सम्बन्धित या उनसे अनुषंगिक विषयों का उपबन्ध के अधिनियम"

2 यह अधिनियम 12 अक्तूबर, 2005 को लागू हुआ (इसके अधिनियमित होने के 120 दिन के भीतर) परन्तु अधिनियम के कुछेक उपबन्ध 15 जून 2005 को प्रवृत हुए। इन उपबन्धों के अन्तर्गत सूचना आयोगों का गठन करना, जन सूचना अधिकारियों/ सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करना तथा सक्षम प्राधिकारी द्वारा नियमों को बनाया जाना था । इस अधिनियम का एक व्यापक कार्यक्षेत्र है और इसमें सभी निकाय शामिल है। केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों के समस्त विभाग एवं उपक्रम, पंचायती राज संस्थाएं, शहरी स्थानीय निकाय, सरकार द्वारा गठित, शासित, स्थापित, नियन्त्रित अथवा वितपोषित अन्य निकाय जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल हैं इस अधिनियम के अन्तर्गत आते है। सभी भारतीय नागरिक इस अधिनियम के अन्तर्गत व्यापक तथा विस्तृत सूचना प्राप्त कर सकते है जिसमें केवल बहुत कम ऐसी सूचनाएं हैं जिन्हें न देने का प्रावधान इस अधिनियम में किया गया है।

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग का गठन राज्य सरकार द्वारा 4 फरवरी, 2006 की अधिसूचना द्वारा किया गया। आयोग ने शिमला स्थित मुख्यालय में पहली मार्च 2006 से कार्य करना आरम्भ किया। सचिवालय प्रशासन ने वर्ष के दौरान तथा उसके उपरान्त आयोग को सचिवीय स्टाफ और अन्य सुविधाएं प्रदान की हैं ।

आयोग ने एक सदस्यीय निकाय के रूप में 1 जुलाई, 2007 तक कार्य किया और तद्पश्चात श्री एस.एस.परमार ने, जो हिमाचल प्रदेश सरकार से मुख्य सचिव के पद से सेवानिवृत हुए थे, 2 जुलाई, 2007 को राज्य सूचना आयुक्त का पद ग्रहण किया। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को हिमाचल प्रदेश सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सचिवालय में स्थान उपलब्ध करवाया गया तथा कार्यालय के स्टाफ के लिए गैर सरकारी मकान किराए पर लिया गया। आयोग का कार्य वर्ष 2008–09 के दौरान इन्ही स्थानों से जारी रहा।

4 आयोग को वित्त वर्ष 2008–09 में मु0 66,41,000/– का बजट खर्चों को पूरा करने के लिए प्रदान किया गया । स्वीकृत बजट का विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	उपशीर्ष	बजट
1	वेतन	53,70,000
2	यात्रा व्यय	90,000
3	कार्यालय व्यय	3,64,000
4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	69,000
5	किराया, दर एवं उपकर	2,33,000
6	आतिथ्य/सत्कार	20,000
7	रखरखाव	25,000
8	मोटर वाहन	4,70,000
	कुल	66,41,000

5. राज्य सूचना आयोग की शक्तियाँ और कार्य निम्न प्रकार है :–

(क) अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत जांच

(i) इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन रहते हुए राज्य सूचना आयोग का यह कर्तव्य होगा कि वह किसी ऐसे व्यक्ति से शिकायत प्राप्त करे और उसकी जाँच करें–

- जो, यथास्थिति, किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी को इस कारण से अनुरोध प्रस्तुत करने में असमर्थ रहा है कि इस अधिनियग के अधीन ऐसे अधिकारी की नियुक्ति नहीं की गई है या, यथास्थिति, राज्य सहायक लोक सूचना अधिकारी ने इस अधिनियम के अधीन सूचना या अपील के लिए धारा 19 की उपधारा (1) में विनिर्दिष्ट राज्य लोक सूचना अधिकारी या ज्येष्ठ अधिकारी या, यथास्थिति, राज्य

सूचना आयोग को उसके आवेदन को भेजने के लिए स्वीकार करने से इंकार कर दिया है।

- जिसे इस अधिनियम के अधीन अनुरोध की गई कोई जानकारी देने से इंकार कर दिया गया है,
- जिसे इस अधिनियम के अधीन विनिर्दिष्ट समय– सीमा के भीतर सूचना के लिए या सूचना तक पहुँच के लिए अनुरोध का उत्तर नहीं दिया गया है,
- जिससे ऐसी फीस की रकम का संदाय करने की अपेक्षा की गई है, जो वह अनुचित समझता है,
- जो यह विश्वास करता है कि उसे इस अधिनियम के अधीन अपूर्ण, भ्रम में डालने वाली या मिथ्या सूचना दी गई है, और
- इस अधिनियम के अधीन अभिलेखों के लिए अनुरोध करने या उन तक पहुँच प्राप्त करने के लिए संबधित किसी अन्य विषय के संबंध में।

(ii) जहॉ राज्य सूचना आयोग को यह सन्तुष्टि हो जाती है कि उस विषय में करने के लिए युक्तियुक्त आधार हैं, वहाँ वह उसके संबंध में जाँच आरंभ कर सकेगा।

(iii) राज्य सूचना आयोग को इस धारा के अधीन किसी मामले में जाँच करते समय वही शक्तियाँ प्राप्त होगी, जो निम्नलिखित मामलों के संबंध में सिविल प्रक्रिया 1908 के अधीन किसी वाद का विचारण करते समय सिविल न्यायालय में निहित होती हैं, अर्थातः–

- व्यक्तियों को समन करना और उन्हें उपस्थित कराना तथा शपथ पर मौखिक या लिखित साक्ष्य देने के लिए दस्तावेज या चीजें पेश करने के लिऐ उनको विवश करना,
- दस्तावेजों के प्रकटीकरण और निरीक्षण की अपेक्षा करना,
- शपथ पत्र पर साक्ष्य को अभिग्रहण करना,
- किसी न्यायालय या कार्यालय से किसी लोक अभिलेख या उसकी प्रतियाँ मंगाना,
- साक्षियों या दस्तावेजों की परीक्षा के लिए समन जारी करना, और
- कोई अन्य विषय, जो विहित किया जाए।

(iv) संसद या राज्य विधान–मंडल के किसी अन्य अधिनियम में अंतर्विष्ट किसी असंगत बात के होते हुए भी, राज्य सूचना आयोग इस अधिनियम के अधीन किसी शिकायत की जाँच करने

के दौरान ऐसे किसी अभिलेख की परीक्षा कर सकेगा जिस पर यह अधिनियम लागू होता है और जो लोक प्राधिकारी के नियंत्रण में है और उसके द्वारा ऐसे किसी अभिलेख को किन्हीं भी आधारों पर रोका नहीं जाएगा।

(ख) अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत अपीलें:

(i) ऐसा कोई व्यक्ति जिसे विनिर्दिष्ट समय के भीतर कोई विनिश्चय प्राप्त नहीं हुआ है या जो राज्य लोक सूचना अधिकारी के किसी विनिश्चिय से व्यथित है, उस अवधि की समाप्ति से या ऐसे किसी विनिश्चय की प्राप्ति से तीस दिन के भीतर ऐसे अधिकारी को अपील कर सकेगा, जो प्रत्येक लोक प्राधिकरण में राज्य लोक सूचना अधिकारी की पंक्ति से सीनीयर का है । परन्तु ऐसा अधिकारी 30 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फादल करने में पर्याप्त कारण से निवरित किया गया था।

(ii) जहां अपील धारा 11 के अधीन किसी राज्य लोक सूचना अधिकारी द्वारा तीसरी पार्टी की सूचना प्रकट करने के लिए किये गये किसी आदेश के विरूद्ध की जाती है वहां संबंधित तीसरी पार्टी द्वारा अपील उस आदेश की तारीख से 30 दिन के भीतर की जाएगी।

(iii) विनिश्य के विरूद्ध दूसरी अपील उस तारीख से, जिसको विनिश्चय किया जाना चाहिए था या वास्तव में प्राप्त किया गया था, नब्बे दिन के भीतर राज्य सूचना आयोग को होगी, परन्तु राज्य लोक सूचना आयोग 90 दिन की अवधि की समाप्ति के पश्चात अपील को ग्रहण कर सकेगा, यदि उसका यह समाधान हो जाता है कि अपीलार्थी समय पर अपील फाइल करने से पर्याप्त कारण से निवारित किया गया था।

(iv) यदि राज्य लोक सूचना अधिकारी का विनिश्चय, जिसके विरूद्ध अपील की गई है, तीसरी पार्टी की सूचना से संबंधित है तो राज्य सूचना आयोग उस तीसरी पार्टी को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(v) अपील संबंधी किन्हीं कार्यवाहियों में यह साबित करने का भार कि अनुरोध को अस्वीकार करना न्यायोचित था, राज्य लोक सूचना अधिकारी पर जिसने अनूरोध से इंकार किया था, होगा।

(vi) किसी अपील का निपटारा, लेखबद्ध किये जाने वाले कारणों से अपील की प्राप्ति के तीस दिन के भीतर या ऐसी विस्तारित अवधि के भीतर जो उसके फाइल किये जाने की तारीख से कुल पैंतालीस दिन से अधिक न हो, किया जाएगा।

(vii) राज्य सूचना आयोग का विनिश्चय आबद्धकर होगा।

(viii) राज्य सूचना आयोग को अधिनियम में यह भी शक्तियां प्रदान की गई है कि वह सार्वजनिक प्राधिकरणों से अपने निर्णयों की अनुपालना करवाए । शिकायतकर्ता का मुआवजा दिलवाने की शक्ति का भी प्रावधान है।

(ग) अधिनियम की धारा 20 के अन्तर्गत शास्ति :

(i) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी ने किसी युक्तियुक्त कारण के बिना सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने से इंकार किया है या सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा 1 के अधीन सूचना के लिए विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या उस सूचना को नष्ट कर दिया है जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है, तो वह ऐसे प्रत्येक दिन के लिए जब तक आवेदन प्राप्त किया जाता है या सूचना दी जाती है, 250 रुपये की शास्ति अधिरोपित करेगा, तथापि ऐसी शास्ति की कुल रकम 25,000 रुपये से अधिक नहीं होगी।

(ii) जहाँ किसी शिकायत या अपील का विनिश्चय करते समय राज्य सूचना आयोग की यह राय है कि राज्य लोक सूचना अधिकारी किसी युक्तियुक्त कारण के बिना और लगातार सूचना के लिए कोई आवेदन प्राप्त करने में असफल रहा है या उसने सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन विनिर्दिष्ट समय के भीतर सूचना नहीं दी है या असदभावपूर्वक सूचना के लिए अनुरोध से इंकार किया है या जानबूझकर गलत, अपूर्ण या भ्रामक सूचना दी है या ऐसी सूचना को नष्ट कर दिया हे जो अनुरोध का विषय थी या किसी सूचना देने में बाधा डाली है वहाँ वह ऐसे राज्य लोक सूचना अधिकारी के विरुद्ध उसे लागू सेवा नियमों के अधीन अनुशासनिक कार्रवाई के लिए सिफारिश करेगा।

6 देश की शासन प्रणाली में सूचना के अधिकार के महत्व को पहचाना गया है। फलस्वरूप सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अधीन प्रदेश सूचना आयोग को

अधिकृत किया गया है कि वह इस अधिनियम के उपबन्धों के कार्यान्वयन पर प्रत्येक वर्ष एक रिपोर्ट तैयार करे तथा राज्य विधान सभा में प्रस्तुत करने के लिए सरकार को अग्रेषित करें। इस उपबन्ध का अनुसरण करते हुए वर्ष 2008–09 के दौरान हिमाचल प्रदेश में सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के क्रियान्वयन की चतुर्थ रिपोर्ट हिमाचल प्रदेश राज्य विधानसभा के समक्ष रखने के लिए हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा तैयार की गई है। राज्य सूचना आयोग द्वारा अधिनियम के कार्यान्वयन के आंकडे रिपोर्ट के आरम्भ में दिये गए हैं ।

अध्याय–2

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं तथा इसके अन्तर्गत तैयार किए गए नियम

सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अंतर्गत सरकारी अधिकारियों के नियंत्रण में किसी भी सूचना को प्राप्त करने हेतु प्रत्येक नागरिक के अधिकार को व्यवहार्य रूप प्रदान किया गया है । इस अधिनियम में केन्द्र तथा राज्य सरकारों के अधिन सभी सरकारी प्राधिकरणों की कार्य प्रणाली में पारदर्शिता तथा विश्वसानीयता लाने हेतु देश की जनता को अधिकार प्रदान किए गए हैं । इस के अन्तर्गत सभी सरकारी प्राधिकरणों तथा अनेक जन सूचना अधिकारियों (पी0आई0ओ0)/सहायक जन सूचना अधिकारियों (ए0पी0आई0ओ0),जिन्हें सभी सरकारी प्राधिकरणों द्वारा सूचना हेतु प्राप्त आवेदनों पर कार्रवाई हेतु प्राधिकृत किया गया है द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर अनिवार्य रूप से सूचना प्रदान किये जाने की व्यवस्था की गई है । शिकायतों की जांच करने, द्वितीय अपीलों को सुनने तथा सरकारी प्राधिकरणों को अधिनियम के क्रियान्वयन बारे मार्गदर्शन हेतु केन्द्रीय सूचना आयोग (सी0आई0सी0) तथा राज्य सूचना आयोग (एस0आई0सी0) का गठन किया गया है ।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताएं निम्न है :–

(i) कोई भी भारतीय नागरिक किसी भी सरकारी प्राधिकरण से बिना कोई कारण बताए कोई भी सूचना मांग सकता है ।

(ii) मांगी गई सूचना जन सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रदान करनी होगी ।

(iii) अधिनियम सभी सरकारी विभागों, निगमों, बोर्डो, स्थानीय शहरी निकायों,पंचायती राज संस्थाओं तथा सरकार द्वारा स्थापित,गठित,नियंत्रित अथवा वित्तपोषित निकायों पर, लागू होता है जिनमें गैर सरकारी संगठन भी शामिल है।

(iv) जन सूचना अधिकारी आवेदकों को सूचना प्रदान करते अथवा आवेदनों को अस्वीकृत करते हुए सकारण पत्र व्यवहार करेंगें । इसी प्रकार अपीलीय अधिकारियों को भी सकारण एवं स्वतः स्पष्ट आदेश पारित किए जाने अपेक्षित होंगें ।

3 अधिनियम सार्वजनिक प्राधिकरणों को निम्न कर्तव्य और दायित्व विदित करता है :–

(i) अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अनुरूप सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा उनके कार्यों सम्बन्धी विभिन्न पहलुओं पर स्वेच्छा से सूचना का प्रकटीकरण करना होगा जिसे हर वर्ष अद्यतन किया जाना अपेक्षित होगा ।

(ii) सभी सरकारी विभाग/संस्थान सूचना देने के प्रयोजन से अपेक्षित संख्या में जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगें तथा उपमण्डल स्तर पर आवेदन प्राप्त करने तथा उन्हें जन सूचना अधिकारियों को अग्रेषित करने हेतु सहायक जन सूचना अधिकारियों को नामित करेंगे ।

(iii) सार्वजनिक प्राधिकरणों को अधिनियम की धारा 19 के अन्तर्गत जन सूचना अधिकारियों के विरूद्ध की गई प्रथम अपीलों पर विचार करने एवं निर्णय देने हेतु अपीलीय अधिकारी नामित करने होंगे ।

4 अधिनियम में 'सूचना', 'अभिलेखों' और 'सूचना का अधिकार' की परिभाषाऐं निम्न हैं :–

(i) ''सूचना'' से किसी इलैक्ट्रानिक रूप में धारित अभिलेख, दस्तावेज, ज्ञापन, ई–मेल, मत, सलाह, प्रेस विज्ञप्ति, परिपत्र, आदेश, लागबुक,संविदा,रिपोर्ट, कागजपत्र, नमूने, माडल, आंकडों संबंधी सामग्री और किसी प्राइवेट निकाय से सम्बन्धित ऐसी सूचना सहित,जिस का तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि के अधीन किसी लोक प्राधिकारी की पहुंच हो सकती है, किसी रूप में कोई सामग्री, अभिप्रेत है ।

(ii) ''अभिलेखों'' में निम्नलिखित सम्मिलित है –

(क) कोई दस्तावेज, पाण्डुलिपि और फाइल :

(ख) किसी दस्तावेज की कोई माइक्रोफिल्म,माइक्रोफिशे और प्रतिकृति प्रतिः

(ग) ऐसी माइक्रोफिल्म में सन्निविष्ट प्रतिबिम्ब या प्रतिबिम्बों का पुनरूत्पादन (चाहे बर्धित रूप में हो यह न हो) : और

(घ) किसी कम्पयूटर द्वारा या किसी अन्य युक्ति द्वारा उत्पादित कोई अन्य सामग्रीः

(iii) ''सूचना का अधिकार'' से इस अधिनियम के अधीन पहुंच योग्य सूचना का जो किसी लोक प्रधिकारी द्वारा या उसके नियंत्रणाधीन धारित है, अधिकार अभिप्रेत है और जिसमें निम्नलिखित का अधिकार सम्मिलित है :

(i) कृति दस्तावेजों,अभिलेखों का निरीक्षण :

(ii) दस्तावेजों या अभिलेखों के टिप्पण उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि लेना :

(iii) सामग्री के प्रमाणित नमूने लेना :

(iv) डिस्केट, फ्लापी, टेप, वीडियो कैसेट के रूप में या किसी अन्य इलैक्ट्रानिक रीति में याह प्रिंटआउट के माध्यम से सूचना को जहां ऐसी सूचना किसी कम्पयूटर या किसी अन्य युक्ति में भण्डारित है अभिप्राप्त करना।

5 सूचना का अधिकार अधिनियम में लोक प्राधिकारी की परिभाषा निम्न है :

''लोक प्राधिकारी'' से :—

(क) संविधान द्वारा या उसके अधीन :

(ख) संसद् द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(ग) राज्य विधान—मण्डल द्वारा बनाई गई किसी अन्य विधि द्वारा :

(घ) समुचित सरकार द्वारा जारी की गई अधिसूचना या किए गए आदेश द्वारा स्थापित या गठित कोई प्राधिकारी या निकाय या स्वायत्त सरकारी संस्था अभिप्रेत है : और इसके अर्न्तगत —

(i) कोई ऐसा निकाय है जो केन्द्रीय सरकार के स्वामितवाधीन, नियंत्रणाधीन, या उसके द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है :

(ii) कोई ऐसा गैर–सरकारी संगठन है जो समुचित सरकार द्वारा प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से उपलब्ध कराई गई निधियों द्वारा वित्तपोषित है ।

6. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबंध, शासकीय गुप्त बात अधिनियम, 1923 और तत्समय प्रवृत किसी अन्य विधि में या इस अधिनियम से अन्यथा किसी विधि के आधार पर प्रभाव रखने वाली किसी लिखत में उससे असंगत किसी बात के होते हुए भी, प्रभावी होंगे।

7. यह अधिनियम, धारा 8 और 9 के अन्तर्गत जिन सूचनाओं को प्रकट किए जाने से छूट प्रदान करता है, उनका संक्षिप्त रूप निम्न प्रकार है:–

- सूचना, जिसके प्रकटन से भारत की प्रभुता और अखण्डता, राज्य की सुरक्षा, रणनीति, वैज्ञानिक या आर्थिक हित, विदेश से संबंध पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता हो या किसी अपराध को करने का उद्धीपन होता हो ;
- सूचना, जिसके प्रकाशन को किसी न्यायालय या अधिकरण द्वारा अभिव्यक्त रूप से निषिद्ध किया गया है या जिसके प्रकटन से न्यायालय की अवमानना होती है ;
- सूचना, जिसके प्रकटन से संसद् या किसी राज्य के विधान–मंडल के विषेशाधिकार के भंग का कारण होगा ;
- सूचना, जिसमें वाणिज्यिक विश्वास, व्यापार गोपनीयता या बौद्धिक संपदा सम्मिलित है, जिसके प्रकटन से किसी तीसरी पार्टी की प्रतियोगी स्थिति को नुकसान होता है, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है;
- किसी व्यक्ति को उसकी वैश्वासिक नातेदारी में उपलब्ध सूचना, जब तक कि सक्षम प्राधिकारी का यह मत हो कि ऐसी सूचना के प्रकटन से विस्तृत लोक हित का समर्थन होता है ;
- किसी विदेशी सरकार से विश्वास में प्राप्त सूचना ;

– सूचना जिसको प्रकट करना किसी व्यक्ति के जीवन या शारीरिक सुरक्षा को खतरे में डालेगा या जो विधि प्रवर्तन या सुरक्षा प्रयोजनों के लिए विश्वास में दी गई किसी सूचना या सहायता के स्रोत की पहचान करेगा ;

– सूचना, जिससे अपराधों के अन्वेषण, अपराधियों के पकड़े जाने या अभियोजन की किया में अड़चन पड़ेगी ;

– मंत्रिमंडल के कागजपत्र, जिसमें मंत्रिपरिषद्, सचिवों और अन्य अधिकारियों के विचार विमर्श के अभिलेख सम्मिलित है ;

– सूचना, जो व्यक्तिगत सूचना से संबंधित है, जिसका प्रकटन किसी लोक कियाकलाप या हित से सबंध नहीं रखता है या जिससे व्यक्ति की एकांतता पर अनावश्यक अतिक्रमण करता है ।

8 इस अधिनियम के उपबन्धों के प्रभावशाली तथा सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु नियम बनाने के लिए विनियोजित सरकारों तथा अन्य सक्षम प्राधिकारी को शक्तियां प्रदत है। परिणामस्वरूप हिमाचल प्रदेश सरकार, हिमाचल प्रदेश विधान सभा तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय, द्वारा इस अधिनियम के अन्तर्गत नियमें को अधिसूचित किया गया है । हिमाचल विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क व लागत) नियम, 2006, 15 जून 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्चन्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम,2006, राज्य सरकार द्वारा 21 जनवरी,2006 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत हो गए है।

9 इन नियमों की प्रमुख विशेषताएं निम्न है :–

(i) कोई भी व्यक्ति जो सूचना प्राप्त करना अथवा रिकार्ड का निरीक्षण करना चाहता है को निर्धारित शुल्क की अदायगी के प्रमाण सहित सम्बन्धित प्राधिकरण के जन सूचना अधिकारी/ सहायक जन सूचना अधिकारी को निर्धारित प्रपत्र पर आवेदन करना होगा।

(ii) गरीबी रेखा से नीचे (बी0पी0एल0) श्रेणी के आवेदकों से सूचना प्राप्त करने अथवा किसी अभिलेख के निरीक्षण के लिए किसी भी शुल्क की अदायगी अपेक्षित नहीं है ।

(iii) प्रत्येक विषय तथा प्रत्येक वर्ष से सम्बन्धित सूचना लेने के लिए अलग – अलग आवेदन पत्र दायर किया जाना अपेक्षित है ।

(iv) आवेदक को जारी की गई सूचना के प्रत्येक पृष्ठ पर आवेदक का नाम दर्शाते हुए तथा जन सूचना अधिकारी की मोहर, हस्ताक्षर तथा तिथि सहित, विधिवत प्रमाणिकृत किया जाएगा ।

(v) दस्तावेजों को प्रदान करने एवं उनके निरीक्षण के हेतु लिए जानेवाले शुल्क की दर नीचे दी गई हेः–

क्रम संख्या	सूचना का विवरण	मूल्य/शुल्क रूपयों में
1	आवेदन के साथ शुल्क	10/–रू0 प्रति आवेदन
2	जहां सूचना समूल्य प्रकाशन के रूप में उपलब्ध हो	प्रकाशित मूल्य पर
3	समूल्य प्रकाशनों के अलावा	2/–रू0 प्रति पृष्ठ (ए–4 आकार अथवा कम के लिए) बडे आकार के पृष्ठ के मामले में, वास्तविक लागत अथवा प्रति पृष्ठ 20/– रू0 जो भी अधिक हो ।
4	जहां सूचना इलैक्ट्रनिक के रूप में उपलब्ध हो और इलैक्ट्रनिक रूप यथा फलापी, सीडी आदि के रूप में प्रदान की जानी हो	50/–रू0 प्रति फलॉपी 100/–रू0 प्रति सीडी
5	रिकार्ड/दस्तावेज के निरीक्षण हेतु	20/– रू0 प्रति 30 मिनट या उसके अंश के लिए

(vi) निर्धारित शुल्क की अदायगी डिमांड ड्राफ्ट या इण्डियन पोस्टल आर्डर द्वारा सम्बन्धित सरकारी प्रधिकरण को की जा सकती है अथवा 0070– ओ0ए0एस0,60 –ओ0एस, 800– ओ0 आर0 11–सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के अन्तर्गत प्राप्तियां लेखा शीर्ष में सरकारी खजाने में जमा करवाया जा सकता है ।

10 सूचना का अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के तहत नामित अपीलीय अधिकारी तथा हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में अपील दायर करने की

प्रक्रिया का भी उल्लेख किया गया है । इन नियमों के उपबन्धों के अनुसार अपील के ज्ञापन में अपीलकर्ता का नाम व पता, उस जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसके निर्णय के विरूद्ध अपील की जा रही हो तथा आदेश का विवरण जिसके विरूद्ध अपील की जा रही हो, दिया जाना होगा। अपीलकर्ता को अपील की दो प्रतियां दायर करनी होगी । अपील ज्ञापन में अपील के सम्बन्ध मे संक्षेप में तथ्य दिए जाने होगें। आवेदन का जवाब न मिलने की स्थिति में आवेदन का विवरण, संख्या व तिथि, राज्य जन सूचना अधिकारी का नाम व पता जिसे आवेदन दिया गया था का उल्लेख अपीलकर्ता द्वारा किया जाना होगा । अपीलकर्ता अपनी याचना अथवा राहत का उल्लेख तथा याचना व राहत के आधार भी अपील ज्ञापन में स्पष्ट उल्लेख करेगा।

11 इस अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचित नियमों के तहत नामित अपीलीय अधिकारी या हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को यह भी शक्ति होगी कि यदि सुनवाई की तिथि पर अपीलकर्ता व्यक्तिगत रूप में उपस्थित नहों होता है तो वे गुण दोष के आधार पर अपील पर एक तरफा निर्णय भी दे सकतें है । अपीलकर्ता किसी ऐसे आधार पर न तो कोई आपति उठाएगा और न ही उसकी आपति सुनी जाएगी, जिसका उल्लेख उस द्वारा अपील अधिकारी/आयोग को प्रस्तुत अपील ज्ञापन में न किया गया हो । तथापि नामित अपील अधिकारी/ आयोग को अपील पर निर्णय लेते समय उन्हीं आधारों तक सीमित रहने की आवश्यकता नहीं जिनका उल्लेख अपील में किया गया हो । राज्य सरकार द्वारा अधिसूचित नियमों के तहत राज्य सूचना आयोग को अपनी दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही के सम्बन्ध मे विनियम बनाने की शक्तियां भी प्रदत है । परिणामस्वरूप, हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त द्वारा हिमाचल प्रदश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियम, 2008 बनाए गए है जो 1 सितम्बर, 2008 से लागू हो गए थे ।

अध्याय – 3

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, की भूमिका तथा उत्तरदायित्व

हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग जिसे दिनांक 4–2–2006 की अधिसूचना द्वारा गठित किया गया था ने अपने मुख्यालय शिमला (कमरा न0 222 आर्मसडेल भवन हि0 प्र0 सचिवालय) में 1 मार्च,2006 से कार्य करना आरम्भ किया जब श्री पी0एस0 राणा ने प्रथम हिमाचल प्रदेश राज्य मुख्य सूचना आयुक्त का कार्यभार ग्रहण किया । आयोग को राज्य सचिवालय के आर्मसडेल भवन में जगह प्रदान की गई तथा राज्य सरकार द्वारा सभी आवश्यक सुविधाएं प्रदान की गई। वर्ष 2007–08 के दौरान राज्य सूचना आयुक्त का एक पद सृजित कर आयोग को और अधिक सशक्त किया गया तथा तत्कालीन मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार श्री एस0 एस0 परमार (आई.ए.एस. हि.प्र. 1971) को दिनांक 29–06–2007 को राज्य सूचना आयुक्त के रूप में हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में नियुक्त किया गया। श्री परमार ने राज्य सूचना आयुक्त का कार्यभार 02–07–2007 को ग्रहण किया।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के सुचारू रूप से कार्यान्वयन हेतु राज्य सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006, 21 जनवरी, 2006 को बनाए गए । हिमाचल विधान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क एवं खर्च विनियम) नियम, 2006, 15 जून, 2006 को तथा हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005, 30 नवम्बर, 2005 को अधिसूचित किए गए। ये नियम सरकारी राजपत्र में इनके प्रकाशन की तिथि से प्रवृत हो गए हैं । बाद में इन नियमों में शुल्क/अतिरिक्त शुल्क इत्यादि की आदायगी के बारे मे सशोंधन किया गया ।

3 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा अपनी ओर से यह सुनिश्चित करने की कोशिश की गई है कि प्रदेश के लोग सभी सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा राज्य में किए जा रहे लेन–देन के बारे में पता कर सकें तथा इस प्रकार उन्हें पारदर्शी तथा

उत्तरदायी बनया जा सके। वर्ष 2008–09 के दौरान राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा विभिन्न जिलों का दौरा किया गया और जन सूचना अधिकारियों व सहायक जन सूचना अधिकारियों तथा गैर सरकारी संस्थानों के प्रतिनिधियों सहित जिलाधिकारियों के साथ बैठक की। इन बैठकों मे सक्षम प्राधिकारियों द्वारा, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की मुख्य विशेषताओं तथा अधिनियम के अन्तर्गत बनाए गए नियमों के बारे में, अधिकारियों को जानकारियां दी गई। उन से यह भी निवेदन किया गया कि वे अपने क्षेत्रीय दौरों के दौरान, अधिनियम के अधीन सूचना प्राप्त करने की प्रक्रिया का आम जनता में पर्याप्त प्रचार प्रसार करें। इस बात पर भी बल दिया गया कि वे प्राप्त आवेदनों पर सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के प्रावधानों के अधीन कार्यवाही कर निर्धारित समय सीमा के भीतर आवेदकों को अपेाक्षित सूचना उपलब्ध करवाएँ।

4 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग द्वारा राज्य सरकार की वेबसाइट (www.himachal.nic.in) पर भी निम्न सूचना उपलब्ध करवाई है :–

(i) सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत राज्य सूचना आयोग की नियमावली)(सशोंधित 1–4–2008 तक)

(ii) राज्य सरकार के अधीन सार्वजनिक प्राधिकरणों के नाम

(iii) विभिन्न सरकारी प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों के नाम)

(iv) हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग (प्रबन्धन) विनियमन,2008

(v) अपीलों तथा शिकायतों के निर्णय जो हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में दायर की गई थी ।

5 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 तथा हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम, 2006/हिमाचल प्रदेश विघान सभा सचिवालय सूचना का अधिकार (शुल्क एवं लागत विनियम) नियम, 2006/हिमाचल प्रदेश उच्च न्यायालय सूचना का अधिकार नियम, 2005 के उपबन्धों के अन्तर्गत कार्यों का निर्वहन करता है। आयोग सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों तथा

राज्य सरकार द्वारा बनाए गए नियमों एवं विनियमों के अन्तर्गत ही प्रशासनिक कार्यों, प्रक्रिया तथा सेवाओं को कार्यन्वित करता है ।

6 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग सार्वजनिक प्राधिकरणों के नियंत्रण में उपलब्ध सूचना प्राप्त करने से सम्बन्धित शिकायतकर्ताओं से प्राप्त शिकायतों की जांच तथा सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों तथा नियमों के दृष्टिगत उनका गुण दोष के आधार पर निर्णय करता है। आयोग द्वारा अपीलीय अधिकारियों के विरूद्ध दायर की गई द्वितीय अपीलों का निपटान भी करता है। ऐसे सार्वजनिक प्राधिकरण जो अधिनियम के प्रावधानों का अक्षरशः पालन नहीं कर रहें है, उन्हें सदृश पग उठाने के लिए निर्दिष्ट करने हेतु संस्तुतियां देने का अधिकार भी अधिनियम की धारा 19 (8) में आयोग को दिया गया है।

7 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत आयोग को शिकायतें प्राप्त होती हैं। शिकायतें प्राप्त होने पर राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त या तो जांच के आदेश अथवा उचित कार्रवाई करने जो भी उचित समझे, के आदेश दे सकते है। सरकारी अधिकारी अथवा जन सूचना अधिकारी जिसके विरूद्ध शिकायत की गई हो, से टिप्पणी मांग सकते है तथा जन सूचना अधिकारी और शिकायतकर्ता को अवसर प्रदान कर अधिनियम के उपबन्धों के अन्तर्गत उचित निर्णय दे सकते हैं। आयोग अधिनियम की धारा–19 के अन्तर्गत अपीलें प्राप्त करता है। राज्य मुख्य सूचना आयुक्त और राज्य सूचना आयुक्त, जन सूचना अधिकारी से टिप्पणी प्राप्त कर तथा अपील में उठाए गए मुददों पर सुनवाई कर अपीलों का निपटान करते है। आयोग द्वारा किसी अपील पर अन्तिम निर्णय लेने से पूर्व आवेदक को सामान्यतः सुनवाई के लिए अपना मामला प्रस्तुत करने हेतु एक अवसर दिया जाता है। यद्यपि आयोग में प्राप्त अपीलों तथा शिकायतों के निपटान हेतु अधिनियम में कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, फिर भी आयोग ऐसे मामलों का निपटान तेजी से कर रहा है। आयोग का यही प्रयास रहता है कि ऐसे मामलों का निपटान आयोग में प्राप्ति तिथि के अधिकतम तीन मास की अवधि में कर दिया जाए।

8 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के कार्य को सुचारू रूप से चलाने के उद्धेश्य से राज्य सरकार द्वारा 32 पद सृजित किए गए । इन पदों का विवरण इस प्रकार हैं :–

कमांक	पदनाम	पद का वेतनमान 1–1–2006 से सशोधित	सृजित पदों की संख्या
1	मुख्य सूचना आयुक्त	90,000 / – + अन्य भत्ते	1
2	राज्य सूचना आयुक्त	80,000 / – + अन्य भत्ते	1
3	सचिव (एच0ए0एस0 / आई0ए0एस0)	अपने वेतनमान में	1
4	सिस्टम एनालिस्ट	10300–34800 + रू0 5400	1
5	रीडर कम एहलमद	10300–34800 + रू0 5000	2
6	अनुभाग अधिकारी	10300–34800 + रू0 5000	1
7	वरिष्ठ सहायक	10300–34800 + रू0 3800	2
8	लिपिक कम कम्पयूटर आपरेटर	5910–20200 + रू0 1900	4
9	निजी सचिव	10300–34800 + रू0 5000	2
10	निजी सहायक	10300–34800 + रू0 4200	4
11	कनिष्ठ वेतनमान स्टेनोग्राफर	5910–20200 + रू0 2800	1
12	चलक	5910–20200 + रू0 2000	3
13	प्रोसेस सरवर	4900–10680 + रू0 1400	1
14	चौकीदार	4900–10680 + रू0 1300	1
15	स्वादार	4900–10680 + रू0 1300	5
16	फ्रास कम माली	4900–10680 + रू0 1300	1
17	सफाई कर्मचारी	4900–10680 + रू0 1300	1
	कुल		32

9 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों की शक्तियां तथा कार्य निम्नलिखित है :–

क्रम संख्या	पदनाम	शक्तियां एवं कार्य
1	राज्य मुख्य सूचना आयुक्त	राज्य सूचना आयोग के कार्यों/गतिविधियों की सामान्य देख–रेख, निर्देशन एवं प्रबन्धन/अपीलों और शिकायतों का निपटान ।
2	राज्य सूचना आयुक्त	अपीलों तथा शिकायतों का संज्ञान तथा उनका निपटान
3	सचिव एवं पंजीयक	आयोग का प्रशासनिक प्रबन्धन, वित्तिय नियंत्रण तथा राज्य के मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त की कार्य निपटान में सहायता करना।
4	निजी सचिव राज्य प्रमुख सूचना आयुक्त/ राज्य सूचना आयुक्त	सचिवालीय सहायता तथा मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्यों का निपटान।
5	रीडर कम एहलमद	आयोग में प्राप्त अपीलों और शिकायतों को प्रक्रिया में लाना तथा मुख्य सूचना आयुक्त/राज्य सूचना आयुक्त द्वारा प्रदत्त कार्य करना।
6	अनुभाग अधिकारी एवं सहायक पंजीयक	आयोग के प्रशासनिक, वित्तीय तथा अन्य कार्यों के निपटान में सचिव एवं पंजीयक की सहायता करना।
7	अधीनस्थ कर्मचारी	आयोग के अधिकारियों की सहायता करना तथा निरीक्षण अधिकारियों द्वारा प्रदत्त कार्य करना।

10 हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग की प्रशासनिक तथा अन्य आवश्यकताओं को पूरा करने के दृष्टिगत हिमाचल प्रदेश सरकार ने वित्त वर्ष 2008–09 के लिए 66,41,000/– रू0 के वार्षिक बजट का प्रावधान किया था। वर्ष के लिए स्वीकृत बजट तथा व्यय का शीर्षवार विवरण निम्न प्रकार से है :–

क्रमांक	उपशीर्ष	स्वीकृत बजट	व्यय
1	वेतन	53,70,000	38,84,137
2	यात्रा व्यय	90,000	89,085
3	कार्यालय व्यय	3,64,000	3,60,023

4	चिकित्सा प्रतिपूर्ति	69,000	59,446
5	किराया, दर एवं उपकर	2,33,000	2,32,368
6	आतिथ्य / सत्कार	20,000	NIL
7	रखरखाव	25,000	NIL
8	मोटर वाहन	4,70,000	4,58,944
	कुल	**66,41,000**	**50,84,003**

11 आयोग द्वारा इस वित्त वर्ष के दौरान मुवलिक पन्द्रह लाख से ज्यादा की कटौती की गई । उपशीर्ष "वेतन" के खर्चे में बचत इसलिए हुई क्योंकि खर्च में कटौती किए जाने के दृष्टिगत वित्त वर्ष के दौरान सभी स्वीकृत पद नहीं भरे जा सके । इसके अतिरिक्त राज्य मुख्य सूचना आयुक्त तथा राज्य सूचना आयुक्त को सचिवालीय सहायता सचिवालय प्रशासन, हिमाचल सरकार द्वारा प्रदान की गई । आयोग द्वारा खर्च में अधिकतम किफायत बरतते हुए स्वीकृत बजट के अन्य उपशीर्षों में भी बचत सुनिश्चित की गई है साथ ही राज्य सरकार द्वारा समय–समय पर जारी की गई मितव्ययता हिदायतों को ध्यान में रखा गया है ।

अध्याय–4

अधिनियम का कार्यान्वयन

(हिमाचल प्रदेश में सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा आवेदनों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अन्तर्गत केन्द्र सरकार तथा राज्य सरकारों के अधीन कार्यरत सभी सरकारी प्राधिकारणों की गतिविधियों में पारदर्शिता लाने तथा उन्हें जन साधारण के प्रति जवाबदेह बनाने के लिए प्रावधान किए गए है। अधिनियम सरकारी एजेंसियों/अधिकारियों द्वारा अपने विवेकाधिकार के दुरूपयोग को रोकने के लिए तैयार किया गया है। इन एजेंसियों से अपेक्षा रहेगी कि वे अपने कार्यकलापों को अधिनियम की धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत 17 बिन्दुओं पर सूचना प्रकाशित करें तथा इसे समय–समय पर अद्यतन करें। अधिनियम की धारा के अन्तर्गत प्रकाशन सम्बन्धित सरकारी प्राधिकारी के कार्यालयों में उपलब्ध होने अनिवार्य थे। लेकिन विभिन्न गैर सरकारी संगठनों तथा नागरिक समिति संगठनों के प्रतिनिधियों तथा अपीलकर्ताओं और शिकायतकर्ताओं ने आयोग के ध्यान में लाया है कि राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों के अधिकांश क्षेत्रीय कार्यालयों में धारा 4(1)(ख) के अन्तर्गत अद्यतन प्रकाशन सामान्यतः उपलब्ध नहीं रहे है।

2 सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6 व 7 के उपबन्धों के अनुसार सरकारी प्राधिकरणों से यह अपेक्षा रहेगी कि वे इस उद्धेश्य के लिए नामित जन सूचना अधिकारी के माध्यम से जन साधारण को उनके द्वारा मांगी गई सूचना निर्धारित अवधि में उपलब्ध करवायें। आयोग द्वारा प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार 124 सार्वजनिक प्राधिकरणों को 17,869 आवेदन इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए प्राप्त हुए थे। अन्य सार्वजनिक प्राधिकरणों को कोई भी आवेदन प्राप्त नहीं हुआ। इस वर्ष 17,869 आवेदनों के प्रतिकुल पिछले 10,105 आवेदन 118सार्वजनिक प्राधिकरणों में प्राप्त हुए थे । अतः पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2008–09 के दौरान आर.टी.आई. आवेदनों की संख्या में लगभग 75% वृद्धि हुई है। पर्याप्त बृद्धि से यह

प्रतीत होता है कि सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के उपबन्धों के बारे में राज्य के जन साधारण व्यक्ति की जानकारी में वृद्धि हुई है ।

3 कुल 124 सार्वजनिक प्राधिकरणों में से 11 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 500 से अधिक आवेदन प्राप्त हुए, 29 सार्वजनिक प्राधिकरणों (प्रत्येक को) 101 से 500 आवेदन प्राप्त हुए तथा 16 सार्वजनिक प्राधिकरणों को (प्रत्येक को) 51 से 100 आवेदन इस अवधि के दौरान प्राप्त हुए। शेष 68 सार्वजनिक प्राधिकरणों को इस वर्ष के दौरान (प्रत्येक को) 50 से कम आवेदन प्राप्त हुए। इस वर्ष के दौरान तीन विभागों में जोकि पुलिस विभाग, प्रारम्भिक शिक्षा विभाग और लोक निर्माण विभाग है में 1000 से ज्यादा आवेदन प्राप्त किए गए । यह पाया गया कि 17,869 आवेदनों में से 16,704 आवेदन जोकि कुल प्राप्त आवेदनों का 93 प्रतिशत है को 56 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किया गया । शेष 78 सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा कुल आवेदनों का 7 प्रतिशत से भी कम आवेदन प्राप्त किए गए थे । इसी अवधि के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों को 8,07,939 रूपये का शुल्क प्राप्त हुआ।

4 वर्ष 2008–09 के दौरान प्राप्त आवेदनों की विवरण सारणी निम्न है :–

<u>वर्ष 2008–09 के दौरान विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों से प्राप्त आवेदन</u>

(i)	सार्वजनिक प्राधिकरणों की संख्या जिन्हें 500 से अधिक आवेदने प्राप्त हुए	11
(ii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 251 से 500 तक आवेदन प्राप्त हुए	9
(iii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 101 से 250 तक आवेदन प्राप्त हुए	20
(iv)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 51 से 100 तक आवेदन प्राप्त हुए	16
(v)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 26 से 50 आवेदन प्राप्त हुए	15
(vi)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 10 से 25 आवेदन प्राप्त हुए	25
(vii)	सार्वजनिक प्राधिकरण जिन्हें 10 से कम आवेदन प्राप्त हुए	28

सार्वजनिक प्राधिकरणों की कुल संख्या जिन्हें आवेदन प्राप्त हुए 124

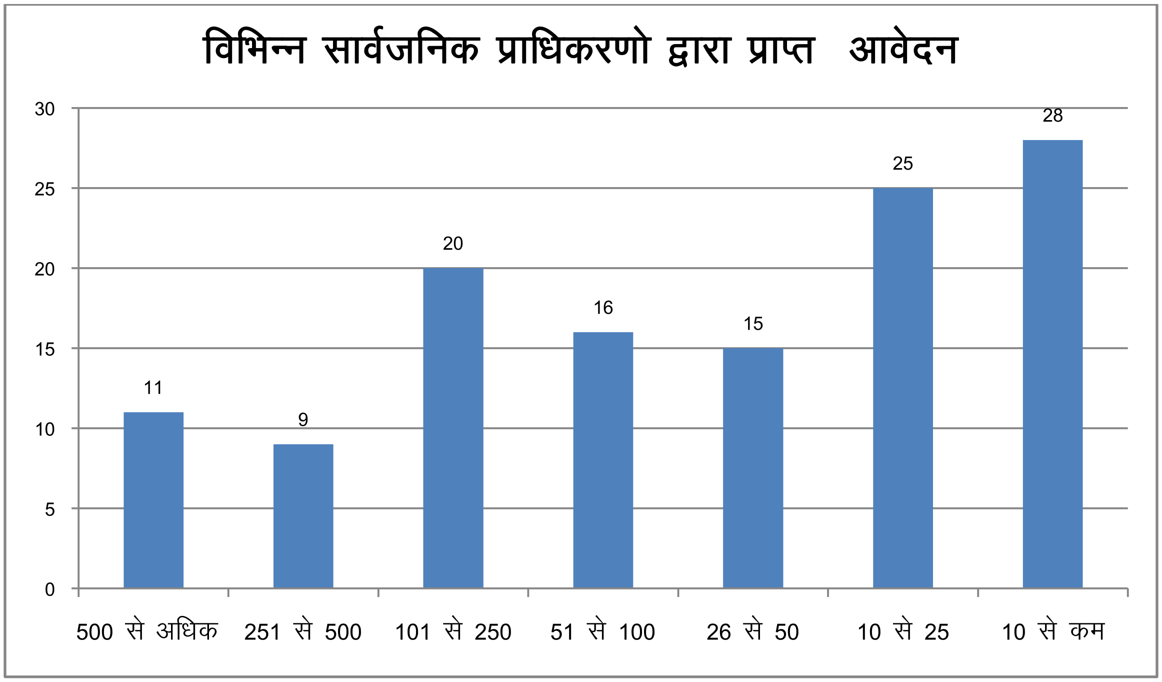

5 विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा प्राप्त किए/रदद किए आवेदनों/दायर अपीलों/प्राप्त शुल्क का विवरण

कमांक	सरकारी विभाग का नाम	प्राप्त आवेदनों की संख्या	जितने मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा रदद किए गए	प्रथम अपीलीय अधिकारी के पास दायर अपीलें	राज्य सूचना आयोग के पास दायर अपीलें	ऐसे मामले जहां आयोग द्वारा क्षतिपूर्ति के आदेष दिए	प्राप्त राषी रूपये
1.	विधान सभा सचिवालय	60	1				2,266
2.	लोक सेवा आयोग	362		7	9		11,672
3.	राज्य सूचना आयोग	26		1	1		726
4.	महिला राज्य आयोग	18					1,296
5.	मण्डलायुक्त, शिमला	26					3,330
6.	मण्डलायुक्त, कांगडा	20					621

7.	मण्डलायुक्त ,मण्डी	15					556
8.	हि0प्र0उच्च न्यायालय एवं अधीनस्थ न्यायालय	145	4	11	5		6,106
9.	पिछडा वर्ग आयोग	8					30
	हि0प्र0 सचिवालय						
10.	प्रशासनिक सुधार	9					90
11.	कृषि	8					120
12.	पशुपालन	8					310
13.	वन	22		1			480
14.	सामान्य विभाग	42			3		1,997
15.	स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण	234			3		4,387
16.	गृह	32	1	1	1		369
17.	सिंचाई एवं जन स्वास्थ्य	63			1		850
18.	कार्मिक	145	6	10	4		11,180
19.	वित्त	14					1,029
20.	परिवहन	9					138
21.	विधि	9		1	1		2,611
22.	सचिवालय प्राशासन	7			3		568
23.	आबकारी एवं कराधान	3					330
24.	आवास	1					20
25.	सूचना एवं प्रौद्योगिकी	2					994
26.	भाषा एवं संस्कृति	11					7,495
27.	पर्यटन	19		2			490
28.	सैनिक कल्याण	5					650
29.	तकनीकी शिक्षा	6			1		155
30.	आर्युवेद	27					1,556
31.	जनजाति विभाग	6					148

32.	उद्योग	15		1			845
33.	उच्च शिक्षा	5			1		50
34.	मत्सय	6			1		740
35.	श्रम एवं रोजगार	4		1	1		250
	प्रशासनिक विभाग						
36.	कृषि	29		10			943
37.	पशुपालन	70					7,223
38.	आयुर्वेद	97		3			2,738
39.	होम गार्ड एवं नागरिक सुरक्षा	40					750
40.	पुलिस	1618	41	33	5		72,622
41.	सहकारिता	334	1	4	5		24,324
42.	प्रारंभिक शिक्षा	1062	1	4	9		27,575
43.	चुनाव	53	1				859
44.	आवकारी एवं कराधान	73					3,175
45.	मत्सय	18		1			1,212
46.	खाद्य एवं नाकरिक आपूर्ति	130		1			6,305
47.	वन संरक्षण	604	72	2	3		40,205
48.	स्वास्थ्य एवं परिवारकल्याण	112	6	5	7		2,355
49.	वानिकी	92		2	1		7,274
50.	उद्योग	147		1	1		9,522
51.	विज्ञान एवं प्रौद्यौगिकी	19					4,140
52.	सिंचाई एवं जनस्वास्थ्य	457	36	22	2		29,259
53.	श्रम एवं रोजगार	177					2,831
54.	भू समेकन	34					1,322
55.	भू अभिलेख	12	1				267
56.	मुद्रण एवं सामग्री	12					2,105

57.	सूचना एवं जन संपर्क	25		2			1,483
58.	ग्रामीण विकास	649			1		21,438
59.	पंचायत राज	623			4		23,115
60.	भू व्यवस्था (शिमला)	92		6	7		9,753
61.	भू व्यवस्था (शिमला)	129	17	5	1		4,179
62.	सामाजिक न्याय एवं सशक्तिकरण	578		1	3		3,520
63.	चिकित्सा शिक्षा	45					1,775
64.	विद्युत निरिक्षणालय	10					90
65.	राज्य सैनिक कल्याण	27					1,033
66.	स्तर्कता एवं भ्रष्टाचार विरोधि कार्यालय	82	14	2			3,473
67.	लोक निर्माण	1155		33	7		45,505
68.	भाषा एवं संस्कृति	28					954
69.	जनजातिय विकास	2					10
70.	तकनीकी शिक्षा	71					4,399
71.	पर्यटन एवं नागरिक उडडयन	58		2	7		8,595
72.	नगर एवं ग्रामीण नियोजन	227		1			19,388
73.	परिवहन	238					12,287
74.	कोषागार	31	2				1,060
75.	शहरी विकास	10			5		80
76.	युवा सेवाएं एंव खेल	10					87
77.	पर्वतारोहण संस्थान एवं सम्वर्गी खेलकूद	6					310
78.	उच्च शिक्षा	379			13		8,757
79.	योजना	32					1,818
80.	अभियोजन	16					286
81.	गैर पारम्परिक उर्जा स्रोत	1					10
	जिलाधीश						

82.	शिमला	566		1	8		24,040
83.	सोलन	361		11			14,606
84.	सिरमौर	160		2	1		4,109
85.	कुल्लू	256	23				16,382
86.	किन्नौर	95			2		7,439
87.	चम्बा	182					8,300
88.	हमीरपुर	315	18		5		17,555
89.	उना	242			1		12,500
90.	कांगडा	841		25	2		27,261
91.	बिलासपुर	223					6,896
92.	मण्डी	846		8	3		27,755
	सहकारिता/निगम						
93.	वित निगम	23					1,720
94.	वन निगम	118		1			6,008
95.	सामान्य उद्योग निगम	25	2	1			2,004
96.	एच0पी0एम0सी0	12					90
97.	राज्य उद्योग विकास निगम	17	1	1	1		2,067
98.	एग्रो पैकेजिगं	1					10
99.	एग्रो इंडस्टीज	11					150
100.	भूतपूर्व सैनिक	10					100
101.	अल्प संख्यक एवं कल्याण निगम	3					26
102.	पर्यटन विकास निगम	84		6	1		4,100
103.	पथ परिवहन निगम	187			1		27,427
104.	नगर निगम शिमला	633		29	8		19,452
105.	नागरिक आपूर्ति निगम	115					7,427
106.	सहकारिता दुग्ध उत्पादक संघ	34					4,609

107.	हिमउर्जा	49					2,495
108.	इलेक्टानिक विकास निगम	25		2			1,000
109.	हस्तशिल्प एवं हथकरघा निगम	9					510
110.	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	17		1	1		2,067
111.	कांगडा सेंटल को0 बैंक	110	8	6	3		3,144
	बोर्ड						
112.	पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड	61		1	2		4,862
113.	खादी एवं ग्रामीण उद्योग बोर्ड	24					1,357
114.	विपणन बोर्ड	11					1,328
115.	अधीनस्थ सेवायें चयन बोर्ड	271	2	2	1		8,458
116.	हिमुडा	205	1	40	17		42,796
117.	राज्य विद्युत बोर्ड	123		7	6		29,384
118.	वूल फैडरेशन	14					2,239
119.	राज्य विज्ञान प्रोद्योगिक एवं पर्यावरण परिषद	19					4,140
120.	अल्प संख्यक वित एवं विकास	3					50
121.	लघु उद्योग एवं निर्यात निगम	6		1			2,067
	विश्वविद्यालय						
122.	हि0प्र0 विश्वविद्यालय शिमला	282		11	3		7,332
123.	डा0 यशवंत सिंह परमार बागवानी एवं औद्योगिकी विश्वविद्यालय	97			2		4,348
124.	कृषि विश्वविद्यालय पालमपुर	77		6			4,222
	कुल	**17869**	**259**	**338**	**184**	**0**	**8,07,939**

6. उपरोक्त सारणी से स्पष्ट है कि अस्वीकृत किए गए 259 मामलों के अलावा विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों द्वारा सभी आवेदकों को अपेक्षित सूचना भेज दी गई है। इस प्रकार राज्य में कुल आवेदनों के 1.4 प्रतिशत मामले ही रिपोर्ट के अनुसार अस्वीकृत किए गए। गत वर्ष अस्वीकृत मामलों की संख्या कुल आवेदन के 2.8 प्रतिशत थी। इस प्रकार रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान अस्वीकृत आवेदनों की संख्या बहुत कम रही है। साल के दौरान आयोग को आवेदकों द्वारा जन सूचना अधिकारियों द्वारा सूचना नहीं प्रदान करने की शिकायतें प्राप्त हुई हैं जो सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा भेजी गई अस्वीकृत आवेदनों की वार्षिक रिपोर्ट की शुद्धी पर संदेह प्रकट करता है। अतः सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रमुख को रिपोर्ट के शुद्धीकरण के बारे में सुनिश्चित करना चाहिए ताकि भविष्य में उचित तथ्य ही आयोग को भेजे जा सकें।

7. सार्वजनिक प्राधिकरणों ने यह भी उल्लेख किया है कि 259 आवेदन सूचना का अधिकार अधिनियम की धारा की 8(1)(j) के अधीन अस्वीकृत किए गए है। इस अध्याय का पहरा 5 का विवरण यह दर्शाता है कि प्रथम अपीलों की संख्या कुल आवेदनों के 1.8 प्रतिशत से भी कम रही। नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास दायर कुल 338 प्रथम अपीलों के विरूद्ध हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को मात्र 184 अपीलें प्राप्त हुई हैं। इसके अतिरिक्त, वर्ष के दौरान जन सूचना अधिकारियों से सूचना प्राप्त न होने या विलम्ब से प्रत्युत्तर मिलने सम्बन्धी 204 शिकायतें भी आयोग को प्राप्त हुई। इस प्रकार वर्ष के दौरान विभिन्न जन प्राधिकारियों के पास दायर कुल 17,869 सूचना का अधिकार आवेदनों के विरूद्ध कुल 388 अपीलें/शिकायतें आयोग को प्राप्त हुई है। इस प्रकार आयोग में कुल आवेदनों की लगभग 2.1 प्रतिशत अपीलें/शिकायतें प्राप्त हुई । इन आंकडों से स्पष्ट होता है कि रिपोर्टाधीन वर्ष 2008–09 के दौरान सूचना मांगने वालों के आवेदनों पर राज्य के जन सूचना अधिकारियों की कार्रवाई संतोषजनक रही है।

अध्याय–5

अधिनियम की क्रियान्वयन

(हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा अपीलों तथा शिकायतों का निपटान)

सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 18 के अन्तर्गत यह प्रावधान है कि अपेक्षित सूचना उपलब्ध न करवाने, निर्धारित समय सीमा के भीतर प्रत्युत्तर प्राप्त न होने तथा अधिनियम प्रावधानों को कार्यान्वयन न करने सम्बन्धी, आम जनता की शिकायतों को राज्य सूचना आयोग प्राप्त होने पर उनकी जांच करेगा। हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 18 और 19 के तहत अपीलें तथा शिकायतें प्राप्त हुई हैं। इस धारा के अधीन असंतुष्ट अपीलार्थी प्रथम अपील से निर्णय प्राप्त के 90 दिनों के भीतर आयोग के सम्मुख द्वितीय अपील दायर कर सकता है। आयोग देरी से दायर की गई योग्य अपीलों का भी विलम्ब माफ करता है तथा इन अपीलों पर भी निर्णय देता है।

2. वर्ष 2008–09 में अर्थात 1.4.2008 से 31.3.2009 तक हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग में दस जिलों के वासियों तथा राज्य के बाहर से विभिन्न अपीलार्थियों से 184 अपीलें जन सूचना अधिकारियों/प्रथम अपीलीय प्राधिकारियों के विरूद्ध प्राप्त हुई थी। जिसमें से 124 अपीलें 3 जिलों शिमला, मण्डी और कांगडा के वासियों द्वारा दायर की गई थी बाकि 60 अपीलें अन्य जिलों के वासियों तथा राज्य के बाहर के वासियों से प्राप्त की गई थी। आयोग द्वारा प्राप्त अपीलों की जिलावार स्थिति निम्न प्रकार से दर्शायी गई है :–

आयोग में प्राप्त अपीलों का जिलावार विवरण :–

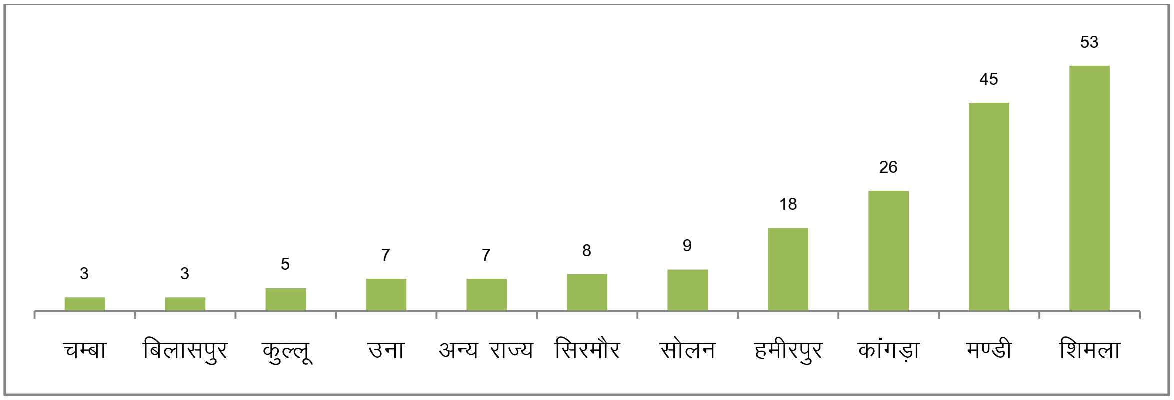

3. वर्ष के दौरान प्राप्त 184 अपीलों के अलावा, 38 अपीलें वर्ष के आरम्भ में लम्बित पड़ी थी। कुल 222 अपीलों में से, वर्ष के दौरान 199 अपीलों पर निर्णय दिए गए तथा 23 अपीलें 31–3–2009 को निर्णय हेतु लम्बित रही। आयोग द्वारा निर्णित 199 अपीलों में से मात्र 44 मामले अस्वीकृत किए गए। अन्य 155 मामलों में जन सूचना अधिकारियों को निर्धारित समय सीमा के भीतर अपेक्षित सूचना प्रदान करने हेतु निर्दिष्ट किया गया। निर्णित/लम्बित अपीलों का ब्योरा निम्न सारणी में दिया गया है :–

(i)	वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलों का ब्यौरा		
	(क)	1–4–2008 को लम्बित अपीलें	38
	(ख)	वर्ष के दौरान प्राप्त अपीलें	184
	(ग)	वर्ष के दौरान निर्णित अपीलें	199
	(घ)	31–3–2009 को लम्बित अपीलें	23
(ii)	वर्ष के दौरान निर्णित अपीलों का ब्यौरा :–		
	(क)	एक माह से कम अवधि में निर्णित	73
	(ख)	एक माह से अधिक पर दो माह से कम अवधि में निर्णित	66
	(ग)	दो माह से उपर की अवधि में निर्णित	60
(iii)	31–3–2009 को लम्बित अपीलों का ब्यौरा :–		
	(क)	एक माह से कम अवधि की लम्बित अपीलें	16
	(ख)	एक माह से दो माह तक लम्बित अपीलें	3
	(ग)	दो माह से उपर लम्बित अपीलें	4

4. उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि 36.6 प्रतिशत अपीलों पर राज्य सूचना आयोग द्वारा एक माह में निर्णय दिये गए थे तथा 33 प्रतिशत अपीलों पर दो माह में निर्णय दिये गए थे बाकि सभी अपीलों पर तीन माह में निर्णय दिये गए।

5. रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान 184 अपीलों के अलावा , प्रदेश के 10 जिलों के वासियों तथा प्रदेश के बाहर से 204 शिकायतें अधिनियम की धारा 18 के अन्तर्गत हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग में प्राप्त हुई। इन में से 124 शिकायतें (60 प्रतिशत से अधिक शिकायतें) शिमला, कांगड़ा, सिरमौर, सोलन जिलों में निवास कर रहे शिकायतकर्ताओं द्वारा की गई थी। आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा निम्न चार्ट पर दर्शाया गया है :—

आयोग में प्राप्त शिकायतों का जिलावार ब्यौरा :—

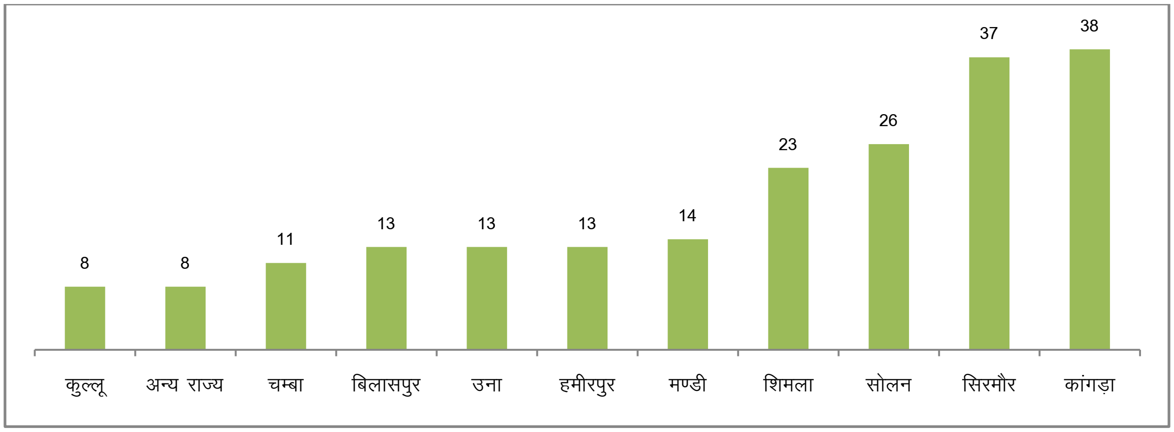

6. वर्ष के दौरान प्राप्त 204 शिकायतों के अलावा 34 शिकायतें 1—4—2008 को लम्बित पड़ी थी। कुल 238 शिकायतों में से 221 शिकायतें वर्ष के दौरान निर्णित की गई तथा 17 शिकायतें 31—3—2009 को निपटान हेतु लम्बित रही। निर्णित 221 शिकायतों में से केवल 33 अस्वीकृत की गई। इस प्रकार लगभग 85 प्रतिशत कुल शिकायतों का पर अनुतोष दिया गया। प्राप्त निर्णित तथा लम्बित पड़ी शिकायतों का अवधिवार ब्योरा निम्नलिखित है :—

प्राप्त निर्णित तथा 31—3—2009 को लम्बित शिकायतों का ब्यौरा।

(i) वर्ष के दौरान प्राप्त तथा निर्णित शिकायतें

(क)	1.4.2008 की लम्बित शिकायतें	34
(ख)	वर्ष 2008–09 में प्राप्त शिकायतें	204
(ग)	वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें	221
(घ)	दिनांक 31–3–2009 को लम्बित शिकायतें	17

(ii) वर्ष के दौरान निर्णित शिकायतें :–

(क)	एक माह से कम अवधि में निर्णित	85
(ख)	एक माह से अधिक पर 2 माह से कम अवधि में निर्णित	65
(ग)	दो माह से उपर की अवधि में निर्णित	70

(iii) 31–3–2009 को लम्बित शिकायतों का ब्यौरा :–

(क)	एक माह से कम अवधि तक लम्बित	9
(ख)	एक से दो माह तक की अवधि तक लम्बित	3
(ग)	दो माह से अधिक अवधि तक लम्बित	5

7. उपरोक्त तथ्य यह दर्शाते हैं कि 40 प्रतिशत शिकायतों पर राज्य सूचना आयोग द्वारा एक माह में निर्णय दिये गए थे तथा 27 प्रतिशत शिकायतों पर दो माह में निर्णय दिये गए। बाकि सभी शिकायतों पर तीन माह में निर्णय दिये गए।

8. हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग ने रिपोर्टाधीन वर्ष के दौरान विभिन्न अपीलकर्ताओं/शिकायतकर्ताओं को मु0 27,000 रूपये के मुआवजे की अदायगी करने हेतु जन सूचना अधिकारियों को निर्देशित किया है तथा एक जन सूचना अधिकारी पर मु0 25,000 रूपये जुर्माना किया गया था।

9. उक्त अपीलों तथा शिकायतों के अलावा वर्ष 2008–09 में, हिमाचल प्रदेश राज्य सूचना आयोग को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत 763 विविध आवेदन/प्रतिवेदन भी प्राप्त हुए जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया। इन आवेदनों/प्रतिवेदनों पर की जाने वाली कार्यावाही पर आयोग द्वारा अनुवर्ति कार्यवाही की गई ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि आवेदकों को उचित उत्तर प्राप्त हों। ऐसा न होने की स्थिति में कुछेक आवेदनों/प्रतिवेदनों को आयोग को भेजी गई शिकायतों को अधिनियम की धारा 18 के

अन्तर्गत लिया गया। वर्ष के दौरान प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों को ब्यौरा निम्नलिखित चार्ट में दिया गया है।

आयोग में प्राप्त विविध आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या जिन्हें सम्बन्धित जन सूचना अधिकारियों/जन प्राधिकारियों को अग्रेषित किया गया :–

क्रमांक	जिला नाम	प्राप्त आवेदनों/प्रतिवेदनों की संख्या
1.	हमीरपुर	52
2.	चम्बा	69
3.	कुल्लू	24
4.	बिलासपुर	34
5.	कांगड़ा	110
6.	सिरमौर	117
7.	शिमला	96
8.	मण्डी	118
9.	सोलन	56
10.	उना	49
11.	किन्नौर	3
12.	राज्य के बाहर से	35
	कुल जोड़	763

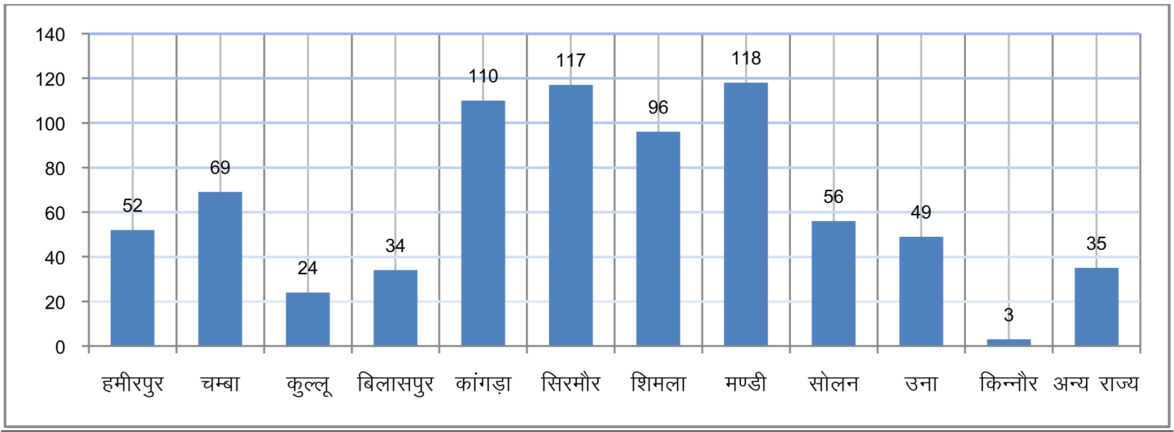

अध्याय–6

अभिमत एवं संस्तुतियां

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 25(1) के अधीन सौंपी गई द्वितीय तथा तृतीय रिपोर्टों में, राज्य सरकार के अधीन विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 को सुचारू तथा प्रभावी क्रियान्वयन हेतु हिमाचल प्रदेश सूचना आयोग द्वारा कुछ संस्तुतियां की गई थी । राज्य सरकार द्वारा इनमें से इन संस्तुतियों पर कार्रवाई की गई है । राज्य सरकार द्वारा आयोग की अभिमत तथा संस्तुतियों पर की गई कार्रवाई का विवरण अनुलग्नक "B" तथा "C" में दिया गया है । कुछ संस्तुतियों जिनपर आगामी कार्रवाई राज्य सरकार के स्तर पर अपेक्षित है, इस रिपोर्ट में अभिमत तथा संस्तुतियों के रूप में सम्मिलित की जा रही है ।

2. आयोग द्वारा राज्य सरकार के सार्वजनिक प्राधिकरणों से वर्ष 2008–09 के दौरान सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत आवेदकों से प्राप्त आवेदनों की प्रक्रिया के बारे में प्राप्त हुई रिपोर्टों का विश्लेषण किया गया जिसमें पाया गया कि कुल 17,869 आवेदन अधिनियम के अन्तर्गत सूचना लेने के लि 124 जन अधिकारियों को प्राप्त हुए जिनमें से मात्र 259 मामले जन सूचना अधिकारियों द्वारा अस्वीकृत किए गए । इसके अतिरिक्त नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास 338 प्रथम अपीलें दायर हुई तथा 204 शिकायतें व 184 द्वितीय अपीलें आयोग में प्राप्त हुई । नामित अपीलीय प्राधिकारियों के पास इतनी कम मात्रा में प्राप्त प्रथम अपीलों तथा आयोग के पास दायर कम शिकायतों/द्वितीय अपीलों से जाहिर है कि राज्य में विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों के प्रत्युत्तर से आवेदक आमतौर पर संतुष्ट रहे । आयोग के पास प्राप्त हुई अपीलों तथा शिकायतों का निर्णय करते हुए यह पाया गया कि अधिकतर शिकायतें तथा अपीलें जन सूचना अधिकारियों से विलम्ब से उतर प्राप्ति से सम्बंधित थी । अधिकांश मामलों में विलम्ब का कारण जन सूचना अधिकारियों को सूचना का अधिकार अधिनियम के प्रावधानों तथा इसके अधिन बनाए गए नियमों की जानकारी न होना पाया गया । इसके अतिरिक्त सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

के कार्यक्षेत्र के बारे में आवेदकों को जानकारी न होना भी पाया गया । बड़ी संख्या में आवेदकों/अपीलकर्ताओं द्वारा राज्य सूचना आयोग से अपनी शिकायतों में सुधार की अपेक्षा भी की गई ।

3. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 26 की उप धारा (1) में प्रावधान है कि वित्तीय तथा अन्य संसाधनों की उपलब्धता के दृष्टिगत राज्य सरकार :–

(क) इस अधिनियम के अन्तर्गत जन साधारण अपने अधिकारों का कैसे प्रयोग करे तथा उन्हें विशेषतः सुविधा रहित समुदायों को जागरूक करने हेतु शैक्षणिक कार्यक्रम तैयार कर आयोजित करेगी।

(ख) उपरोक्त (क) में संदर्भित कार्यक्रम विकास व आयोजन में भागीदारी तथा उन्हें स्वयं चलाने हेतु सार्वजनिक प्राधिकरणों को प्रोत्साहित करेगी।

(ग) सार्वजनिक प्राधिकरणों द्वारा अपनी गतिविधियों सम्बन्धी सही तथा सामयिक सूचना के प्रभावी प्रसारण कों प्रोत्साहित करेगी।

(घ) जन सूचना अधिकारियों को प्रशिक्षित करेगी तथा प्रशिक्षण सम्बन्धित सामग्री सार्वजनिक प्राधिकरणों के प्रयोग हेतु उपलब्ध करवायगी।

4. अधिनियम के उक्त प्रावधान के अनुसरण में हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान, शिमला तथा क्षेत्रीय/जिला प्रशिक्षण केन्द्रों द्वारा जन सूचना अधिकारियों तथा राज्य सरकार के अन्य अधिकारियों के लिए 14 प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा कार्यशालाएं संचालित किए । 2007–08 के दौरान संस्थान द्वारा ऐसे 8 प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए । हालांकि वर्ष के दौरान संचालित किए गए प्रशिक्षण कार्यकमों की संख्या गत वर्ष के दौरान किए गए कार्यकमों से अधिक रहे तथापि राज्य में जन सूचना अधिकारियों और सहायक जनसूचना अधिकारियों को ध्यान में रखते हुए हिमाचल प्रदेश लोक प्रशासन संस्थान द्वारा आयोजित किए गए प्रशिक्षण कार्यक्रमों की संख्या को कम ही कहा जा सकता है। हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 के अनुसार राज्य सरकार को सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अधीन एकत्रित शुल्क को अधिनियम तथा नियमों के प्रावधानों के प्रचार के लिए व्यय किया जाना अपेक्षित है। अतः प्रशासनिक सुधार विभाग को यह सुनिश्चित करना होगा कि अधिनियम के अधीन एकत्रित शुल्क प्रशिक्षण संस्थानों/जन प्राधिकारियों को पर्याप्त मात्रा में राज्य के जन

सूचना अधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों तथा अपीलीय प्राधिकारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए वितरित किया जाए।

5 यद्यपि राज्य सरकार द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(ख) के लिए सामग्री को प्रकाशित करने बारे जन प्राधिकारियों को कई बार निर्देश जारी किए गए हैं तथापि अपील कर्ताओं एवं आवेदकों तथा सिविल सोसायटी के प्रतिनिधियों द्वारा आयोग के ध्यान में लाया गया है कि विभिन्न विभागों की वार्षिक रिपोर्टों में समावेश की गई ऐसी घोषणा अधिनियम के उदेश्यों को पूरा नहीं कर पाती क्योंकि इन घोषणाओं में सामान्यतया जन अधिकारियों के बारे में पुरानी सूचनाएं होती हैं। आयोग द्वारा अपनी पूर्व रिपोर्ट में यह संस्तुतियों दी गई थी कि विभिन्न जन प्राधिकारियों के जिला स्तर के कार्यालयों द्वारा अपने कार्य में पारदर्शिता को सुनिश्चित करने के लिए धारा 4(1)(ख) की घोषणाओं को बनाया और प्रकाशित किया जाए। इस उपधारा के अनुसार इन घोषणाओं को समय–समय पर अद्ययतन किया जाना भी अपेक्षित है। आयोग का विचार है कि 17 बिन्दुओं पर अद्यतन सूचना की उपलब्धता सूचना का अधिकार आवेदनों की संख्या में कमी आएगी। अतः आयोग पुनः यह संस्तुत करता है कि विभिन्न जन प्राधिकारियों के जिला स्तरीय कार्यालयों को अधिनियम की इस धारा के प्रावधानों में अपेक्षित घोषणाओं को प्रकाशन हेतु कहा जाए। विभागों/बोर्डों/निगमों को भी घोषणाओं को प्रकाशित करने के लिए निर्दिष्ट किया जाए । साथ ही साथ उन्हें अपनी वार्षिक रिपोर्टों में घोषणाओं को प्रकाशित करने की वर्तमान प्रक्रिया को जारी रखने हेतु कहा जाए।

6. हिमाचल प्रदेश सूचना का अधिकार नियम 2006 में विनिर्दिष्ट है कि सूचना का अधिकार के अधीन प्राप्त आवेदनों का रजिस्टर जन सूचना अधिकारियों द्वारा तैयार किया जाएगा। यह प्रावधान सुनिश्चित करता है कि सूचना का अधिकार आवेदनों पर एक नियत अवधि के भीतर प्रक्रिया पूरी की जा सके तथापि आयोग ने विभिन्न अपीलों तथा शिकायतों की सुनवाई के दौरान यह महसूस किया है कि जनसूचना अधिकारियों द्वारा ऐसा रजिस्टर तैयार नहीं किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप बहुत से मामलों में सूचना जारी करने में विलम्ब हुआ है। इन रजिस्टरों में से कुछेक का अवलोकन करने

पर यह भी पाया गया कि इनमें सही इन्द्राज नहीं हुआ था। यद्यपि इस सम्बन्ध में ऐसे रजिस्टरों को एक निर्धारित प्रपत्र पर तैयार करने के लिए हिदायतें जारी कर दी गई है तथापि जन सूचना अधिकारियों द्वारा हिदयातों का अनुपालन बहुत संतोषजनक नहीं रहा है। अतः उन विभागों में जिनमें बडी संख्या में आवेदन प्राप्त होते हैं सूचना का अधिकार आवेदनों के रजिस्टरों की एक निश्चित अवधि में भौतिक सत्यापन प्रणाली अपनाए जाने की आवश्यक्ता है। इस पद्धति से जन सूचना अधिकारियों की सूची की उपलब्धता धारा 4(1)(ख) के अधीन घोषणाओं तथा विभिन्न कार्यालयों के जनसूचना अधिकारियों की त्रेमासिक/वार्षिक प्राप्तियों को भी देखा जा सकता है। इस लिए यह सिफारिश की जाती है कि प्रशासनिक सुधार विभाग, विभिन्न कार्यालय में जन अधिकारियों की आवधिक निरीक्षण की योजना को अन्तिम रूप देगा जिससे सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत उचित क्रियान्वयन को सुनिश्चित किया जा सके।

7. विभागों/निगमों इत्यादि की नामित अपीलीय प्राधिकारी के समक्ष प्रथम अपील का प्रावधान संबंधित अधिनियम में निहित है ताकि आवेदक जिला स्तर पर भी स्वंय इन विभागों/निगमों के अधिकारियों के समक्ष अपना मत प्रस्तुत करते हुए वान्छित सूचना प्राप्त कर सके। तकरीबन सभी जन प्राधिकारियों द्वारा इस अधिनियम के अधीन अपीलीय प्राधिकारी के रूप में अधिकारियों को जिला स्तर पर नामित किया गया है। प्रथम अपील 30 से 45 दिनों तक निर्णीत की जानी अपेक्षित होती है। आयोग द्वारा यह पाया गया है कि अधिकांश मामलों में अपीलीय अधिकारियों द्वारा प्रथम अपील को निर्धारित अवधि के भीतर निर्णीत नहीं किया गया है। प्रशासनिक सुधार विभाग द्वारा भी अपीलीय अधिकारियों को प्रथम अपीलें अधिनियम में निश्चित अवधि के भीतर निर्णीत करने हेतु विस्तृत निर्देश जारी किए गए हैं फिर भी पुनः अपीलीय अधिकारियों को इन हिदायतों को दिए जाने की आवश्यक्ता है ताकि अपीलकर्ता अपने मामले राज्य सूचना आयोग के समक्ष लाने के लिये मजबूर ना हों । प्रथम अपील के लिए नामित अपीलीय अधिकारियों द्वारा निर्धारित प्रपत्र पर एक रजिस्टर तैयार करने की भी आवश्यक्ता है। अपीलीय अधिकारियों को इस बारे में मार्गदर्शन करने हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रमों को आयोजित करने की भी आवश्यक्ता है।

8. उपायुक्त हमीरपुर द्वारा जिला हमीरपुर के विभिन्न सार्वजनिक प्राधिकरणों के जन सूचना अधिकारियों की निर्देशिका प्रकाशित की गई है और निर्देशिका जिला के सभी कार्यालयों में उपलब्ध करवाई गई। यह जनसूचना अधिकारियों/सहायक जन सूचना अधिकारियों, अपीलीय प्राधिकारियों जिला के निवासियों के बीच जागरूकता को उत्पन्न करने के लिए एक प्रशंसनीय पहल है। राज्य के दूसरे जिलों के उपायुक्त भी इस तरह की निर्देशिकाओं को प्रकाशित कर सकते है तथा उन्हें अपने जिला के विभिन्न कार्यालयों में उपलब्ध करवा सकते हैं। इसके अतिरिक्त जनसूचना अधिकारियों, सहायक जन सूचना अधिकारियों और जनप्राधिकारी के नामित अपीलीय प्राधिकारी द्वारा जिला के समस्त कार्यालयों में जैसा कि पूर्ववार्षिक रिपोर्टों में संस्तुत किया गया है, प्रदर्शित की जाएगी।

9. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 की धारा 4(1)(क) में अनुबंध किया है कि प्रत्येक जन प्राधिकारी निम्न कार्य करेंगे:–

- इसके समस्त रिकार्ड को व्यवस्थित, विधिवत रूप में इस क्रम से रखा जाए जिससे इस अधिनियम के अन्तर्गत सूचना की प्राप्ति सरल हो तथा
- सुनिश्चित किया जाए कि समस्त रिकार्ड जो कम्प्यूटरीकरण के लिए उपयुक्त है उसे समुचित समय तथा संसाधनों की उपलब्धि के अनुसार, कम्प्यूटरीकरण करवा दिया जाए तथा नेटवर्क के माध्यम से देश की विभिन्न कम्प्यूटर पद्धतियों द्वारा ऐसे रिकार्ड को प्राप्त करने में सरलता हो।

10. अधिनियम के उपर्युक्त उपबंधों को ध्यान में रखते हुए यह आवश्यक हो जाता है कि रिकार्ड प्रबंधन की विद्यमान पद्धतियां, विभिन्न वर्गों के रिकार्डों को रखने की अनुसूचि एवं सूचिकरण पद्धतियां और रिकार्डों की संख्या का जन प्राधिकारियों द्वारा समीक्षात्मक पुनरीक्षण हो। इस अधिनियम के कारण रिकार्ड प्रबंधन के कानूनी ढांचे में विशेषतः इलेक्ट्रानिक रिकार्ड के सर्जन और विलोपन के बारे में बदलाव लाने की आवश्यक्ता पड़ सकती है सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अन्तर्गत सूचना मांगने के विषय पर विभिन्न उपबंधों को कार्यान्वयन में रिकार्ड का उचित सूचीपत्र और सूचीबद्ध महत्वपूर्ण होगा।

11. सूचना प्रौद्योगिकी विभाग ने रिपोर्ट दी हे कि अधिकतर विभागों, निगमों और बोर्डों में उनकी अपनी वैबसाईट थी। इसके अतिरिक्त राज्य के पास निम्नलिखित वैबसाईट सुविधएं हैं:–

"रैफनिक, ई–सेवा, ई–कोश, इ–समाधान, एस.एम.एस. गेटवे, ई–क्ओसक्स, ई–पहचान, ई–गजट और ई–टेंडरिंग इत्यादि।"

विभाग द्वारा यह भी रिपोर्ट दी गई है कि राज्य के समस्त पुलिस स्टेशन कम्प्यूटरीकृत किए जा चुके है। इसके अतिरिक्त सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग ने भी रिपोर्ट दी है कि रिकार्डों को अद्यतन तथा कम्प्यूटरीकृत करने के लिए उठाए पग हेतु तकनीकी सहायता सुनिश्चित की जाएगी। वर्ष के दौरान यह कार्य प्रशंसनीय एवं स्वागत योग्य है । तथापि सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग केवल उन्ही विभागों जो अपने रिकार्ड कम्प्यूटरीकृत करता है को तकनीकी सहायता देने तक ही अपने आपको सीमित नहीं करना चाहिए बल्कि अपनी सक्रिय भूमिका भी अदा करनी चाहिए । सूचना प्रौद्यौगिकी विभाग को राज्य के विभिन्न विभागों के विद्यमान रिकार्ड प्रबन्धन पद्धति, रिकार्ड रिटेंशन, अनुसूचियों और रिकार्ड की सूचीकरण प्रणाली के लिए समीक्षा हेतु नियत समय सीमा योजना को अन्तिम रूप देना होगा। यह प्रक्रिया राज्य में जनसूचना अधिकारियों को एक नियत अवधि के भीतर सूचना चाहने वाले लोगों को सूचना का अधिकार आवेदको की संख्या में कमी ला पाएगी, क्योंकि सूचना चाहने वाले वांछित सूचना कम्प्यूटरीकृत रिकार्ड के माध्यम से भी प्राप्त कर पायेंगें।

12. आयोग ने अपनी पूर्व रिपोर्टों में निरीक्षण के लिए निर्धारित शुल्क में कमी करने की सिफारिश की थी परन्तु इसे राज्य सरकार द्वारा अभी स्वीकार नहीं किया गया है। आयोग का अब भी यह विचार है कि रिकार्डों के निरीक्षण के लिए शुल्क ढांचा पर पुनर्विचार करना न्यायसंगत है । अतः आयोग अपनी पूर्व संस्तुति पर पुनर्विचार करने का अनुरोध करता है। आयोग द्वारा अपनी पूर्व रिपोर्ट में ए–5 और ए–6 आकार के दस्तावेजों के शुल्क में कमी करने की सिफारिश भी की गई थी। ए–4 आकार के पृष्ठ का प्रतिपृष्ठ 2 रूपये निर्धारित शुल्क को ध्यान में रखते हुए ए–5 तथा ए–6 आकार के

कागज हेतु निर्धारित शुल्क बहुत अधिक है। इसलिए आयोग ए–5 और ए–6 आकार कागज /दस्तावेज के सम्बन्ध में अपनी संस्तुति पर सरकार द्वारा विचार करने का पुनः निवेदन करता है।

*****